

NRrhI x<+ I jdkj ds foRr dh I eh{k

5.1.0 प्रस्तावना :

5.1.1 चूँकि **jkT; dh LFkkuh; fudk; ka ds fy; s iedk jkf'k inkrk , tYI h jkT; I jdkj g\$** अतः राज्य से स्थानीय निकायों को राशियों के अंतरण में उसका **foRrh; LokLF;** अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसलिये **jkfo-vk-** के **fopkjFKZ fo"K; ka** में राज्य वित्त को सुदृढ़ करने एवं उनमें सुधार के लिये अपनी अनुशंसायें करते समय राज्य वित्त से संबंधित अनेक विषयों को शामिल किया गया है। इन विषयों में शामिल हैं :-

- (1) राजस्व लेखों के आय एवं व्यय को संतुलित करने तथा राज्य के संसाधनों पर वर्तमान व्यय, ऋण भुगतान एवं पूर्व निर्मित आस्तियों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण के लिये आवश्यक माँगों को ध्यान में रखते हुये, पूँजीगत निवेश के लिये साधन जुटाने के उद्देश्य से राज्य वित्त की समीक्षा करना,
- (2) वर्ष 2004-05 के करारोपण के स्तर एवं निर्धारित अवधि में अतिरिक्त साधन जुटाने के लक्ष्यों तथा अतिरिक्त साधनों की संभावनाओं के आधार पर **1 vi&y 2005]** से प्रारंभ कर अगले पाँच वर्षों के लिये राज्य के राजस्व लेखे के राजस्व एवं व्यय के आदर्शक आधार पर प्रक्षेपण तैयार करना,
- (3) निम्नलिखित के लिये उपाय सुझाना :
 - (i) राजस्व लेखे के आय एवं व्यय को संतुलित करने तथा 31 मार्च 2005, तक निर्मित आस्तियों के रख-रखाव एवं अनुरक्षण के लिये आवश्यक राशियों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से अतिरिक्त साधन जुटाना,

- (ii) कुशलता एवं मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुये, बेहतर राजकोषीय प्रबंधन,
- (iii) राजस्व एवं राजकोषीय घाटे कम करने के लिये, राजकोषीय चरों के व्यवहार को वांछित दिशा की ओर मोड़कर राज्य वित्त की पुनर्रचना करना।

5.1.2 ऊपर वर्णित राज्य के वित्त के सभी पहलुओं को सम्मिलित करते हुये, विषय अपने आप में एक पृथक संपूर्ण अध्ययन की विषय सामग्री होगी, परन्तु वह रा.वि.आ. के लिये, जिसे अनेक कार्य सम्पन्न करने हैं, अत्यन्त कठिन विषय होगा। **vius l hfer l e; , oa l k/kuka ea jk-fo-vk- ds fopkjfkZ fo"k; ka ea jkT; foRr l s l af/kr iR; d en ds l kfk iwkZ U; k; ugha dj l dsxkA** फिर भी समकों की उपलब्धता एवं प्राप्त समयावधि के अंतर्गत, वह इन विषयों पर यथासंभव विचार करने का प्रयास करेगा। इन बाधाओं एवं सीमाओं का पूर्ण अहसास रखते हुये, हम परिच्छेद 5.1.1 में चिन्हित विषयों में से कुछ पर तीन अध्यायों में विचार करेंगे, जिनके शीर्षक होंगे :-

1. छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त की समीक्षा,
2. राज्य के राजस्व एवं व्यय का आदर्शक मूल्यांकन,
3. राज्य वित्त की पुनर्रचना।

5.1.3 **orèku v/; k; eđ iFke fo"k; fy; k x; k gSRfk bl ea ge jkT; foRr dh l f{klr l eh{kk ds l kfk&l kfk dñnh; foRr dh iæqk jçkk; a iLrç djxç** क्योंकि काफी सीमा तक राज्य वित्त, केन्द्र से अंतरित साधनों पर निर्भर होता है। इस अध्याय का क्रम इस प्रकार होगा : **iFke dñnh; foRr** की संक्षिप्त समीक्षा, फिर समग्र रूप में **jkT; foRr** की त्वरित समीक्षा और **NRrhl x<+jkT; ds foRr** की समीक्षा।

5.2.0 केन्द्रीय वित्त की प्रवृत्तियाँ :

5.2.1 चूंकि भारत में राज्य सरकारें अपने कुल राजस्व का एक बड़ा भाग हस्तांतरणों के रूप में केन्द्र सरकार से प्राप्त करती हैं तथा केन्द्र एवं राज्यों के वित्त संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत एक दूसरे से जुड़े हुये हैं, अतः यह अप्रासंगिक नहीं होगा, यदि हम राज्य सरकारों एवं छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त की समीक्षा की पृष्ठभूमि के रूप में, केन्द्रीय वित्त की त्वरित समीक्षा करें। इस अध्ययन का उद्देश्य यह परीक्षण करना है, कि राज्य वित्त कहाँ तक देश एवं अन्य राज्यों की प्रमुख प्रवृत्तियों के अनुरूप है अथवा उनसे विचलित है।

5.2.2 जैसाकि *1976-77* संबंधी एक अन्य पिछले अध्याय में कहा गया है, केन्द्र से राज्यों को विभागीय हस्तांतरण देश की संघीय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। केन्द्र से राज्यों को साधनों का हस्तांतरण अनेक रूपों एवं अनेक माध्यमों से किया जाता है, *1976-77* द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल के बाद अनुशंसित, केन्द्रीय कर राजस्व में राज्यों का अंश एवं सहायता अनुदान के रूप में विधिक हस्तांतरण तथा *1976-77* द्वारा प्रदत्त अनुदान एवं *1976-77*; *1977-78* द्वारा विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये विवेकाधीन हस्तांतरणों के रूप में पूरक अनुदान। *1976-77*; *1977-78* *65%* *1976-77* *1977-78* *37%* *1976-77* *38%* *1976-77* *5%* *1976-77* ये हस्तांतरण राज्यों को उनकी साधन जुटाने की क्षमता की तुलना में अधिक उतरदायित्व सौंपने के कारण किये जाते हैं। इन हस्तांतरणों के लम्बवत एवं क्षैतिज दोनों पक्ष हैं। केन्द्र से राज्यों को हस्तांतरणों संबंधी निर्णय करते समय केन्द्र के वित्तीय स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना महत्वपूर्ण है। इसलिये राज्यों की रुचि, अपने साथ-साथ केन्द्र के राजकोषीय स्वास्थ्य में भी समान रूप से होती है। अब *1976-77*; *1977-78* की रुचि भी केन्द्र के राजकोषीय स्वास्थ्य में समानरूप से

होनी चाहिये, क्योंकि उन्हें भी **dsfo-vk** की अनुशंसाओं के आधार पर केन्द्रीय राजस्व में कुछ अंश प्राप्त होता है।

5.2.3 उपर्युक्त प्रारंभिक विचारों के प्रकाश में राज्य वित्त पर चर्चा करने के पूर्व **jkfo-vk** ने केन्द्रीय वित्त की संक्षिप्त समीक्षा की है। यद्यपि यह कार्य **dsfo-vk** के परीक्षण क्षेत्र में आता है, फिर भी राज्य वित्त में केन्द्रीय हस्तांतरणों के महत्व के कारण, हम केन्द्रीय वित्त की त्वरित समीक्षा किये बिना नहीं रह सकते।

5.2.4 संलग्न **I kj.kh Ø- 5-1 dñh; I jdkj dh ctVh; iðfr; k** प्रस्तुत करती है, **tk dñh; foRr dh iæqk iðfr; ka ds l dard ga**

5.2.5 **I kj.kh Ø- 5-1** दर्शाती है, कि **dñz ds dj jktLo** में जो 1992-93 में **I-?k-m-** का 8% था, 2001-02 तक गिरावट रही, परन्तु पिछले चार वर्षों 2002-03 से 2005-06 (सं.अ.) में वृद्धिगत प्रवृत्ति रही है। **xj&dj jktLo** में गिरावट हुई है। कुल मिलाकर **dñz dh dy jktLo iðfr; ka** में 2001-02 तक गिरावट रही, परन्तु 2001-02 से उनमें निरंतर वृद्धि हुई। **dñz dh ipthr iðfr; ka** में प्रमुख रूप से **dñz I jdkj** की ईकाइयों में विनिवेश की वृद्धि के कारण, वर्ष 2000-01 से 2003-04 तक के 4 वर्षों में वृद्धि हुई, परन्तु अंतिम 2 वर्षों में विनिवेश नीति पर अंकुश के कारण गिरावट रही। आंशिक रूप से पूंजीगत प्राप्तियों में केन्द्रीय ऋण के कारण वृद्धि हुई है। अध्ययन अवधि में **dñz dk jktLo 0; ; I-?k-m- ds** 12 से 14% के बीच रहा है, परन्तु **dñh; foRr** में सर्वाधिक चिंताजनक प्रवृत्ति **iðhr 0; ;** के गिरावट की रही है।

5.2.6 दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण **jkt dkskh; I dard dñz dk jktLo** एवं **jkt dkskh; ?kkVk** की स्थिति बिगड़ी है। वर्ष 2000-01 से 2002-03 तक **jktLo ?kkVk** काफी ऊँचा **I-?k-m-** के 4 से 4.4% के बीच रहा, परन्तु पिछले 3 वर्षों 2003-04 से 2005-06 में केन्द्र द्वारा किये गये, **jkt dkskh; I dkkjka** के फलस्वरूप उसमें गिरावट हुई। उसी अवधि में **jkt dkskh; ?kkVk** भी ऊँचा रहा तथा पिछले 3 वर्षों

में उसमें कमी हुई। *jkt dkskh; ?kVs* की वृद्धि में प्रमुख योगदान *jktLo ?kVs* में वृद्धि का है। सर्वाधिक निरंतर गिरावट *jktLo ?kVs ds jkt dkskh; ?kVs ds l kfk vuqkr* में देखी गयी, जो इस बात का द्योतक है, कि चालू व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिये ऋण राशियों का अधिकाधिक उपयोग किया गया।

- 5.2.7 *dlnz ds dj jktLo* की संरचना क्रमशः *vk; dj , oa fuxe vk; dj* के पक्ष में झुकी है। *dlnh; dj l jpk* में *l kh; mRiknu dj* निरंतर अपना प्रमुख स्थान बनाये हुये हैं तथा ये *dlnz ds l dy dj jktLo* का 33% है। केन्द्र के सकल कर राजस्व में *l hek 'kfdka* का अंश, जो 1993-94 में 29.3% था, घटते-घटते 2005-06 में 14.4% हो गया। यह कमी वैश्वीकरण की नीति के प्रभाव में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के समझौतों के प्रावधानों के अनुसार हुई है।
- 5.2.8 जहाँ तक *0; ;* का प्रश्न है, *l -?km-* के अनुपात के रूप में विचाराधीन अवधि में ब्याज भुगतान एवं पेंशन में वृद्धि हुई है तथा समायोजन का भार पूंजीगत व्यय पर पड़ा है। केन्द्रीय सरकार ने राजकोषीय सुधारों की दिशा में कुछ उपाय किये हैं, जिनके प्रतिफल के रूप में पिछले 3 वर्षों में केन्द्र की बजटीय स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।
- 5.2.9 *xlloa fo-vk* ने कतिपय महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतकों के संबंध में कुछ लक्ष्य निर्धारित किये हैं तथा अपेक्षा की है, कि केन्द्र सरकार उन्हें प्राप्त करेगी। *l kj .kh Ø- 5-2* में *dlnh; foRr ds fy; s l kbl x; h i ujjpk ; kstuk* दी गयी है।
- 5.2.10 *l kj .kh Ø- 5-2* दर्शाती है, कि *dlnz dk l dy dj jktLo* वर्ष 2004-05 के 9.7% से बढ़कर 2009-10 में 10.9% होना प्रक्षेपित है। *xj&dj jktLo* में किसी वृद्धि की संकल्पना नहीं है। इससे स्वस्थ वित्त की वांछनाओं की पूर्ति नहीं होती। *iptxrr 0; ;* के बढ़ने एवं *jktLo 0; ;* के घटने की आशा है। यह अपेक्षा अनुसार ही है। *jktLo ?kVk* 2009-10 में घटकर शून्य होना प्रक्षेपित है तथा *jkt dkskh; ?kVk* 4.5% से घटकर 2009-10 में 3.0% होना अपेक्षित है। वि. आ. द्वारा सुझाये गये लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये केन्द्र सरकार को साधन जुटाने एवं व्यय निकासी संबंधी कतिपय कठिन निर्णय लेने होंगे। राजकोषीय सुधारों के

सफल क्रियान्वयन पर ही केन्द्र का वित्तीय स्वास्थ्य एवं उसके परिणाम स्वरूप राज्यों एवं स्थानीय निकायों को साधनों का हस्तांतरण प्रवाह निर्भर होगा।

5.3.0 राज्य सरकारों के वित्त की समीक्षा :

5.3.1 चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त को पूर्णतः अन्य राज्यों में होने वाले घटना चक्रों एवं राज्यों की समग्र राजकोषीय स्थिति से पृथक नहीं किया जा सकता, अतः देश के राज्य वित्त की समग्र स्थिति की त्वरित समीक्षा करना अप्रासंगिक नहीं होगा।

5.3.2 कुल मिलाकर, वर्ष 1997-98 से 2002-03 तक की 6 वर्षों की अवधि में राज्य वित्त की स्थिति खराब रही है और इसलिये इस अवधि को राज्य वित्त में सर्वाधिक खराब अवधि माना जाता है। यह वह अवधि थी, जिसमें पाँचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के फलस्वरूप राज्यों के वेतन व्ययों में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, जब स.घ.उ. के अनुपात के रूप में केन्द्र से राज्यों को हस्तांतरणों में गिरावट आई तथा जब राज्यों में कर कम करने की होड़ लगी हुई थी, जिसके फलस्वरूप **I-?km-** के अनुपात में उनके **Lo; ads dj jktLo** में कमी हुई। राज्यों को ऐसे समय अतिरिक्त ऋणों पर निर्भर रहना पड़ा, जब ब्याज दरें अपने चरम पर थी। इन घटनाओं का प्रभाव उनके **_.k & I-?km- vuqkr** पर पड़ा है, जिसमें तीव्र वृद्धि हुई है। **yfocr _ .k I-?km- vuqkr** 1996-97 के 21% से बढ़कर 2002-03 में 31% हो गया। **C; kt Hkqrku** 1993-94 के **I-?km-** के 1.82% से बढ़कर 2002-03 में 2.8% हो गया।

5.3.3 **I kj.kh Ø 5-3** में **Hkjr ea jkT; foRr dh l exz fLFkr** दर्शायी गयी है। राज्यों का **jkt dkskh; ?kVv** ऊँचा रहा है तथा वह वर्ष 1990-91 के 3.3% से बढ़कर 2001-02 में 4.2% तथा 2003-04 में 4.4% हो गया, परन्तु पिछले दो वर्षों में उसमें कमी हुई है। **jktLo ?kVv** भी उच्च स्तर पर रहा है तथा वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में उसमें वृद्धि हुई है। **I-?km-** के प्रतिशत के रूप में **jkT; ka dk Lo; adk jktLo** लगभग 7 से 8% के बीच स्थिर रहा है। **Lo; adk dj jktLo I-?km-** के 5 से 6% के बीच रहा है, परन्तु **xj&dj jktLo** में निरंतर कमी हुई है तथा वह 2005-06 (सं.अ-) में **I-?km-** के 1.3% के निम्नतम स्तर पर पहुँच

गया। *imthxr ikflr;ka* में प्रमुखतः अल्प बचतों में वृद्धि के फलस्वरूप वृद्धि हुई है। अध्ययन अवधि में *l-?km- ds ifr'kr* के रूप में *fodkl 0; ;* में कमी हुई है तथा *xj& fodkl 0; ;* में वृद्धि। *imthxr 0; ;* में वृद्धिगत प्रवृत्ति नहीं रह सकी है। *ziæ[k : i l s dñnz , oa jkT; l jdkjka }kjk jkt dks'kh; l qkkjka dh fn'kk ea fd; s x; s iz kl kq ftuea l k/ku tðkus , oa 0; ; ea deh djus ds mik; 'kkfey gq ds QyLo: i fi Nys 3 o''kkz ea jkT; foRr ea dñ l qkkj n''Vxkpj gqk gq i jUrqcgq dñ vkj fd; k tkuk vko'; d gñ*

5.3.4 *jkT; foRr dh fcxMfh fLFkr ds fy; smrjnk; h dkjdka ea l fci Mh dk , d egroiwkz LFku gñ* अधिकांश सब्सिडी निहित प्रकार की है, जो लागत से भी कम मूल्य पर सेवाओं के प्रदाय से उत्पन्न होती है। निम्न उपभोक्ता मूल्य बढ़ती हुई सब्सिडी का प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें ऊर्जा एवं यातायात क्षेत्रों को बजटीय सम्बल प्रदान करती रही हैं।

5.3.5 *0; ; ds ifr'kr ds : i ea tðk; k x; k jktLoj tks foHku l okva l s tðk; s x; s l k/ku dk eks/k&eks/k l drd gñ* 1990 के दशक में *l keftd l okva* के मामले में 2% के इर्द-गिर्द रहा है, वहीं *vkfkd l okva* के संबंध में यह अनुपात 1992-93 से 1995-96 की अवधि में घटकर 12% एवं पुनः 1997-98 से 2002-03 के बीच 12% से भी कम हो गया।

5.3.6 राज्य सरकारें, बढ़ते *jkLo ?kVs* के फलस्वरूप बढ़ते *jktdks'h; ?kVs* जिनके कारण राज्यों की उधारी बढ़ती है, जो उनकी बढ़ती लम्बित देयताओं एवं उच्च ब्याज भुगतान का कारण बनती हैं तथा पुनः बढ़ते *jkLo ?kVs* के दुष्चक्र में फंस गये हैं।

5.3.7 *fodkl dk; ka* के लिये की गयी उधारी चिंता का विषय नहीं हो सकती, परन्तु *miHksx 0; ;* के लिये लिये गये ऋण अपनी ऋण देयताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त प्रतिफल सुनिश्चित नहीं कर सकते। *lexz Hkqrkuka ea ipthxr 0; ;* के अंश में निरंतर गिरावट की स्थिति में राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं में सुधार करना तथा

उसे बनाये रखना संभव नहीं है। आंशिक रूप से *I -jk-?k-m-* की उच्च वृद्धि दर, ब्याज भुगतानों एवं ऋण वापसी के बढ़ते दायित्वों को समाहित कर सकती है, परन्तु अधिकांश राज्य अपने-अपने *I -jk-?k-m-* की वृद्धि दरों को नहीं बढ़ा सके हैं। इस प्रकार स्थिति और अधिक कठिन एवं जटिल हो जाती है।

5.3.8 लगातार बिगड़ते *jkt dks'kh; LokLF;* ने, अनेक राज्यों को *jkt dks'kh; I qkkj I LFkxr I qkkj* एवं कतिपय *{ks-h; mik;* करने के लिये प्रेरित किया है। *jkt dks'kh; I qkkjka ea* मुख्य रूप से कर एवं गैरकर स्रोतों से साधन जुटाना एवं अनुत्पादक व्ययों को रोक कर राजकोषीय विवेक अपनाना शामिल है। *I LFkxr I qkkjka ea* सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की कुशलता में सुधार, राज्य बजटों में पारदर्शिता, सहकारी क्षेत्र की पुनर्रचना, प्रशासकीय सुधार, विकेन्द्रीकरण एवं व्यापक कम्प्यूटरीकरण शामिल है। *{ks-h; I qkkjka* में विभिन्न क्षेत्रों विशेषतया कृषि एवं अधोसंरचना की उत्पादकता में वृद्धि करना शामिल है। कुछ राज्यों के द्वारा जन सेवाओं के लिये उपभोक्ता मूल्यों का युक्ती-युक्तकरण करने के प्रयास किये गये हैं। पेंशन भुगतानों को कम करने की दृष्टि से कुछ राज्यों ने अपने नवनियुक्त स्टाफ के लिये अंशदान आधारित पेंशन योजनायें प्रारम्भ की हैं। अधिकांश राज्यों में उर्जा क्षेत्र की कुशलता में वृद्धि करने तथा शुल्क संरचना में परिवर्तन करने के उद्देश्य से ऊर्जा नियामक प्राधिकरणों का गठन किया है। बड़ी संख्या में राज्यों ने *fcØh dj* के स्थान पर *ew; of/kk' dj %S/½* लागू कर दिया है तथा विभिन्न राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट इस परिवर्तन के मामलों में उत्साहजनक है। आशा की जाती है, कि जिन राज्यों ने अभी वैट लागू नहीं किया है, वे निकट भविष्य में ऐसा करेंगे। कुछ राज्यों ने *jkt dks'kh; I qkkjka* को लागू करने के लिये *jkt dks'kh; mRrjnkf; Ro fofu; e* पारित किये हैं। ये सभी उपाय कुछ राज्यों के वित्त में हाल ही में हुये सुधार में परिलक्षित हो रहे हैं।

5.3.9 *xiiog fo-vk* ने *jkt; ka ds foRr dh iqjpbuk* का सुझाव दिया है तथा उनके लिये वर्ष 2009-10 तक प्राप्त करने हेतु कतिपय *jkt dkskh; y{;* निर्धारित किये हैं। *l kj .kh Ø- 5-4* में *l q;k; h xbz iqjpbuk* प्रस्तुत की गयी है।

5.3.10 उपर्युक्त लक्ष्य *vk r* में है तथा जरूरी नहीं है, कि राज्य उनका पालन करें। फिर भी वे इस बात के मोटे-मोटे संकेतक हैं, कि राज्य सरकारों से क्या अपेक्षित है। *jkt; ka dks Lo; a ds dj , oa xj & dj jktLo rFkk dy i kflr; ka dks c < kuk gkxk A dy 0; ; dks Hkh c < uk g\$ ijUrq jktLo 0; ; ea of) l s ugha oju-eq; r; k imthxr 0; ; l s*। राजस्व घाटे की घटकर शून्य होने की अपेक्षा की गई है तथा राजकोषीय घाटे की 2004-05 में 4.5% से घटकर, 2009-10 तक 3.0% होने की। एक महत्वपूर्ण बिन्दु, जिस पर *xiiog fo-vk* ने जोर दिया है, वह यह कि *imthxr 0; ;* में वृद्धि विकास को बढ़ावा देने एवं राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये हो, किसी भी स्थिति में *imthxr 0; ;* का उपयोग *xj foHkxh; l kozt fud bdkb; ka dh gkfu* की उनकी अंशपूँजी में पैसा लगाकर अथवा उनकी बजट-इतर उधारी को सेवित कर प्रतिपूर्ति करने में न किया जाय।

5.4.0 छत्तीसगढ़ राज्य का वित्त :

5.4.1 केन्द्र एवं समग्र रूप में राज्यों की राजकोषीय यथा-स्थिति की पृष्ठभूमि में हम बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त की त्वरित समीक्षा कर सकेंगे। प्रारम्भ में हम, इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, कि *NRrhl x <+ l jdkj* ने *1 uoEej 2000]* से ही कार्य करना प्रारम्भ किया है, जब अविभाजित *e/; insk* में से कुछ भाग पृथक कर, इस नये राज्य का गठन किया गया, क्योंकि राज्य का जन्म ही 1 नवम्बर 2000 को हुआ, अतः उसने संपूर्ण वित्तीय वर्ष 2000-01 के लिये बजट नहीं बनाया। संपूर्ण वित्त वर्ष के लिये राज्य का पहला बजट 2001-02 के लिये था। अतएव राज्य वित्त की हमारी समीक्षा वर्ष *2001&02 l s 2005&06 ¼ av-½* की पांच वर्षों की अल्प अवधि संबंधी वित्तीय संमकों पर आधारित होगी। हम मानते हैं, कि किसी राज्य के वित्त की समीक्षा के लिये पाँच वर्ष की अवधि अत्यधिक कम है। राजकोषीय उपायों

को अपने परिणाम देने एवं प्रभाव बताने में समय लगता है। यद्यपि राज्य बजट के माध्यम से राजकोषीय प्रबंधन के प्रभाव अल्पकाल में देखे जा सकते हैं। इस तथ्य के बावजूद, कि नये राज्य ने विरासत में *e/; i n'sk dh dj l j'puk , oa 0; ; & kps* को पाया है, तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य के राजकोषीय संकेतकों संबंधी ऐतिहासिक समकों को छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि के रूप में लेना उचित नहीं होगा।

- 5.4.2 नये राज्य को पुनर्निर्माण तथा अपनी स्वयं की प्रशासकीय संरचना को पुनर्गठित करने का अवसर होगा और यह एक लाभ है, जो उसे प्राप्त है। उसे अपनी कर संरचना, व्यय ढाँचे एवं सार्वजनिक ऋण ढाँचे में संरचनात्मक एवं संस्थागत परिवर्तन कर सकने का भी लाभ है। उसे अपनी बजटीय तकनीकों एवं प्रपत्रों को संशोधित करने एवं बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप नवीनता लाने की स्वतंत्रता है।
- 5.4.3 हम समझते हैं, कि नये राज्य ने तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के 51 विभागों की संख्या को संबद्ध क्रियाकलापों को एक ही विभाग के अंदर लाकर तथा परस्पर व्यापित विभागों को मिलाकर, घटाकर केवल 18 करने का साहसिक कदम उठाया है। यह कदम सेवा प्रदाय में सुधार, त्वरित निर्णय लेने एवं त्वरित सेवा-पश्चात् कार्यवाही के उद्देश्य से उठाया, बताया गया है। यह महत्वपूर्ण है, कि यह प्रारम्भिक लाभ समय बीतने के साथ-साथ कम न हो। विभागों एवं पदों की संख्या बढ़ाने के नौकरशाही दबाव के बावजूद प्रशासकीय सुधारों की वर्तमान नीति जारी रहनी चाहिये, परन्तु साथ ही राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा, कि उनके सुगम एवं कुशल संचालन हेतु विभिन्न विभागों के पास पर्याप्त स्टाफ हो। किसी भी स्थिति में मितव्ययिता कुशलता की कीमत पर नहीं होनी चाहिये।
- 5.4.4 कम अवधि के लिये राजकोषीय समंक उपलब्ध होने के कारण, हमारे लिये राज्य के निष्पादन का तुलनात्मक आधार पर मूल्यांकन करना संभव नहीं होगा, जैसे कि पहले लिखा गया है। समकों के अत्यधिक अल्प अवधि के लिये होने पर विश्लेषण के लिये उन्नत सांख्यिकी तकनीकों का उपयोग नहीं किया जा सकता। कुछ सीमा तक हम, इस कठिनाई को राजकोषीय चरों को *jkT; l -jk?k-m- ds i fr'kr ds*

: i में एवं *jkt; ds l xf/kr l exz l eadka ds ifr'kr ea iLrq dj nj*
dj l drs gll jkt; ds l -jk?k-m-ds okLrfod l ead 2002&03
%okLrfod% rd ds fy; s mi yC/k gll आगे के वर्षों के लिये हमने सरा.घ.उ.
संमकों का 18% प्रतिवर्ष वृद्धि की मान्यता पर प्रक्षेपण किया है। उपरोक्त वर्णित
सीमाओं एवं अवरोधों के बावजूद, *geus bl v/; k; ea u; s jkt; ds foRr dh*
l eh{kk , oa vxys 5 o"kk 2005&06 l s 2009&10 ds fy; s jkt; ds jktLo
, oa 0; ; ds vkn'kkRed eW; kadu dks iLrq djus dk iz kl fd; k gS
rFkk vxys nks v/; k; ka ea jkt; foRr dh i qjpk gsrq l q-ko fn; s gll
जहाँ-जहाँ संभव होगा, हम छत्तीसगढ़ राज्य एवं भारत के अन्य राज्यों के वित्त की
तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करेंगे।

5.4.5 राज्य सरकार ने अपना *e/; e vof/k jkt dks'kh; l qkkj dk; De* बनाया है तथा
केन्द्र सरकार से इस हेतु प्रदत्त *ikRl kgu dks'k* का महत्वपूर्ण *jkt dks'kh; pjka*
ea l qkkj dj लाभ लिया है। विश्लेषण की अल्प अवधि के बावजूद, जो इस
अध्याय में की गयी है, हम ऐसे चरों का चुनाव करेंगे, जो नये राज्य के निष्पादन के
सारतत्व को ग्रहण कर सकेंगे।

5.5.0 राज्य के वित्तीय निष्पादन की रेखायें :

5.5.1 *l kj .kh Ø 5-5*, जिसे प्रमुख सारणी माना जा सकता है, *jkt; l jdkj dh*
2001&02 l s 2005&06 rd dh ctVh; fLFkfr प्रस्तुत करती है, जिसमें
राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों में वर्गीकृत *dy ikflr; k;* एवं राजस्व तथा पूंजीगत
में वर्गीकृत *dy 0; ;* का समावेश है। राजस्व प्राप्तियों को और आगे स्वयं के कर
राजस्व एवं स्वयं के गैर-कर राजस्व में तथा केन्द्र से प्राप्त राशियों को केंद्रीय करो
में अंश एवं सहायता अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पूंजीगत प्राप्तियों
को ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, शुद्ध सार्वजनिक ऋण एवं शुद्ध सावर्जनिक लेखे में
वर्गीकृत किया है। व्यय के संबंध में सारणी में राजस्व व्यय एवं *ipt hxr 0; ;* में

वर्गीकृत **dy 0;** ; को प्रस्तुत किया गया है। **dj** एवं **xj&dj jktLo** तथा राजस्व एवं व्यय के विस्तृत विवरण पृथक सारणियों में दिये गये हैं। इस सारणी के आधार पर, हम राज्य वित्त की केवल वृहत समीक्षा करेंगे। अगली सारणियों में महत्वपूर्ण राजकोषीय संमकों को पृथकता से प्रस्तुत किया जायेगा।

5.5.2 **jkt; ds jkt dkskh; LokLF; ds iedk l drrd g&jktLo ?kkVk jkt dkskh; ?kkVk ,oa i kFfed ?kkVKA ;s l kj.kh Ø-& 5-5] 5-6** में प्रस्तुत किये गये हैं।

5.5.3 **jktLo ?kkVs** के मामलों में राज्य की स्थिति सुखद है। इस घाटे का स्तर अधिक उँचा नहीं है। 5 वर्षों में से यह 1 वर्ष में 1% से कम, 2 वर्षों में 2% से कम तथा अन्य 2 **o"kkā ea jktLo vkf/kD; jgk gS** यद्यपि **jkt dkskh; ?kkVk** तुलनात्मक रूप से अधिक है, 2002-03 के 3.08% के न्यूनतम स्तर से बढ़कर 2003-04 के अधिकतम 5.91% के स्तर पर, फिर भी चिंताजनक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि **jktLo ?kkVk jkt dkskh; ?kkVka** का अत्यल्प अनुपात ही नहीं, अपितु 2 वर्ष **jktLo vfrjd** भी रहा है, 1 वर्ष में 20% से कम, 1 वर्ष में 30% से कम तथा शेष 1 में 50% से कम रहा है। कुछ राज्यों में **jktLo ?kkVkj jkt dkskh; ?kkVka** में 70 से 80% तक रहा है, जो एक खतरनाक राजकोषीय स्थिति है तथा जो इस बात का द्योतक है, कि राज्य सरकारों के उपभोग व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिये अधिकांशतः उधार ली गयी राशियों का उपयोग किया गया है। **NRrhl x<+jkt; ea ; /fi dN o"kkā ea jkt dkskh; ?kkVk mPp Lrj ij jgk gS bl 0; ; dk vf/kdkāk Hkkx i pthxr 0; ; ea of) ds dkj.k jgk g** हमने एक पूर्व अध्याय में पहले ही कहा है, कि उच्च **jkt dkskh; ?kkVk** आवश्यक रूप से सर्वदा अवांछित नहीं होता, यदि वह उच्च **i pthxr 0; ;** के फलस्वरूप है। जो उत्पादक है तथा अधिक आय एवं उत्पादन निर्मित करता है, तो उसके विपरीत प्रभाव नहीं हो सकते। वह तब भयावह हो जाता है, जब वह अधिकांशतः **jktLo 0; ;** के फलस्वरूप हो। राज्य वित्त की इस संतोषजनक विशेषता को समाप्त नहीं होने देना चाहिये। **XIIoā fo-vk** द्वारा सुझायी राज्य वित्त की पुनर्रचना योजना की , **d**

iæŋk deh ; g gš fd og ?kkVs ds dkj .kkæ ea Hkn ugha djrh तथा इस कारण उच्च *jkt dkskh; ?kkVs* को वित्तीय दृष्टि से खतरनाक घोषित कर दिया है। *gekjh jk; ea ml mPp jkt dkskh; ?kkVs dk vkšpR; gš tks , d h mRiknd vkfLr; kæ ds fuekZk ij foodiwd 0; ; fd;k x;k gkš tks vfrfjDr vk; , oajkstxkj dk l'tu djæ vkš bl fy; sml s , d fodkl dsfy; sigd ; ll= ds : i ea mi ; ks ea yk; k tk l drk gš*

5.6.0 राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में रूप में राजकोषीय संकेतक :

5.6.1 *l-jk?km-* में वृद्धि कतिपय राजकोषीय संकेतकों में परिलक्षित होनी चाहिये। आशा की जाती है, कि राजकोषीय नीति का उद्देश्य इन *l ærdka dk l-jk?km.* से अनुपात बढ़ाने का होगा। अब हम *l-jk?km- , oa dfri ; egROI wZ jkt dkskh; l ærdka ds chp l ærk dk v/ ; ; u* करेंगे। *l kj .kh Ø 5-7* में ये समंक प्रस्तुत किये गये हैं।

5.6.2 *dj@l-jk?km- vuqkr* में बढ़ती हुई प्रवृत्ति है तथा यह 2001-02 में *l-jk?km-* के 6.75% से बढ़कर 2005-06 में 7.94% हो गया। अन्य राज्यों से तुलना में यह अनुपात अधिक उपयुक्त है। *bl vuqkr dh rgyukRed fLFkr l kj .kh Ø- 5-8* में प्रस्तुत की गई है।

5.6.3 हमने *dj@l-jk?km- vuqkr* को 2001-02 से 2003-04 की अवधि के *vkš r* में प्रगणित किया है, जो 7.02% है तथा यह 1999-2000 से 2001-02 के लिये *l eLr jkT; kæ* के 6.54% से काफी अधिक प्रतीत होता है। हमारी स्थिति सुखद है तथा इसे बनाये रखना एवं इसमें सुधार करना आवश्यक है। *Lo; a ds dj jktLo* के माध्यम से साधन जुटाने के हमारे प्रयासों में कोई शिथिलता नहीं आनी चाहिये। *xš&dj@l-jk?km- vuqkr , l-jk?km-* के लगभग 3% के निम्न स्तर पर बना हुआ है। *jkT; dh jkt dkskh; fLFkr dk , d l kURoukdkih igyw ; g gš fd dy i kflr; k l-jk?km- ds c<rs vuqkr ea gks jgh gš rFkk bl h*

izkj dy 0; ; Hkh c<+jgk g\$ ijUrql okk/kd mRl kgtud rF; ipthr 0; ; dk g\$ tks l-jk?k-m- ds % ea 2001&02 ds 189% l s c<dj 2005&06 ea 4-12% gks x;kj ftl ds dkj.k bl h vof/k ea dy 0; ; 18-52% l sc<dj 20-69% gks x;kA

5.7.0 आत्म-निर्भरता का निर्देशांक :

5.7.1 *jkt dkskh; Lok; rRrk ds egRriwZ l dskdk ea l s , d jkt dkskh; vkRe&fulHkrk g\$ ftl l s vk'k; og l hek g\$ tgl; rd jkT; ljdkj vius jktLo 0; ; dsforr ik'sk.k dsfy; s viusLo; a ds l k/ku t/kus ea l {ke gkrh g\$; g jkT; }kj inf'kr jkt dkskh; vuqkl u ds Lrj dk Hkh /krd gkrk g\$ iFke ckj आत्म-निर्भरता के निर्देशांक की रचना XIIofo-vk ने, राज्यों को बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से की थी। XIIofo-vk ने इसमें कुछ सुधार कर किसी राज्य की Lo; a dh jktLo ikflr; ka का उसके dy jktLo 0; ; से अनुपात का उपयोग सभी राज्यों के समग्र रूप में ऐसे ही अनुपात से तुलना कर किया तथा उसे ही आत्म-निर्भरता के मापन का मानदण्ड माना। bl vuqkr ea l qkj Lo; a ds jktLo dks c<kdj vFkok jktLo 0; ; dks de djds vFkok bu nsk ds l fEJ.k l s fd; k tk l drk g\$ XIIofo-vk ने jkt dkskh; vuqkl u एवं jkt dkskh; izdku के मापन के लिये, इस निर्देशांक का निर्माण जारी रखा। l kj.kh Ø- 5-9 विभिन्न jkT; ka dh bl fun'kkad l s l a/kr fLFkr को प्रदर्शित करती है।*

5.7.2 *NRrhl x<+jkT; उन राज्यों के संवर्ग में आता है, जिन्होंने अपने आत्म-निर्भरता निर्देशांकों में तथा परिणामस्वरूप अपने राजकोषीय प्रबंधन एवं राजकोषीय अनुशासन में सुधार किया है। वर्ष 1993-94 से 1995-96 के vk' r के रूप में उसके Lo; a ds jktLo dk jktLo 0; ; l s vuqkr 56.68% था, जो 2000-01 से*

2002-03 के औसत में बढ़कर 58.24% हो गया। **jkt; dk l qkkj funʒkkad** 1.17 था, जबकि 28 में से केवल 5 राज्यों का निर्देशांक ही इससे अधिक था। ;g mRI kgtud fLFkfr gA

5.7.3 हमने **NRrhl x<+ jkt; ds vkRe&fullkjr rk funʒkkad** का प्रगणन उसी प्राविधि से किया है, जिसका उपयोग **XIIoafv-vk-** ने किया था तथा **XIIoafv-vk** के **i wʒ ds vuʒkuk ds l Eeqk gh ubʒ vof/k ds funʒkkad** को **l kj.kh dz 5-9 1/2 ea** प्रस्तुत किया है।

5.7.4 यद्यपि **vkRe&fullkjr rk funʒkkad** में 1993-94 से 1995-96 की तुलना में 2000-01 से 2002-03 में सुधार हुआ, परन्तु उसमें 2001-02 से 2003-04 की अवधि में गिरावट हुई, ;g fplrk tud gA ;g gekjs jktLo tqkus ds iz kl ka ea f'kffkyrk rFk jktLo 0; ; ea vf/kd of) dk |krd gA परिणामस्वरूप, राज्य का सुधार निर्देशांक 2000-01 से 2002-03 के 1.17 से घटकर 2001-02 से 2003-04 की अवधि में 0.89 रह गया। यह एक अस्वस्थ कर विकास है तथा उसे रोकना आवश्यक है।

5-8-0 jktLo i kflr; k , oa 0; ; & dN egROI wʒ vuq kr %

5.8.1 अब हम, एक अन्य दृष्टिकोण से राज्य के निष्पादन को देखेंगे। वह यह है, कि **fofHku jktLo , oa 0; ; pjka dk l af/k r l exka l s ifr'krA** ये समंक **l kj.kh Ø- 5-5** से लिये गये हैं एवं **l kj.kh Ø- 5-10** में प्रस्तुत किये गये हैं।

5.8.2 **l kj.kh n'kkzh g\$ fd Lo; a dk dj jktLo] xj&dj jktLo , oa dyy Lo; a dk jktLo] dyy jktLo i kflr; ka ds ifr'kr ds : i ea ?kV jgk gA ;g , d vLoLFk jkt dks kh; fodkl gA LoLFk jkt dks kh; fodkl ds fgr ea bu valka dks c<uk gkskA** जैसा कि राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में केन्द्र से प्राप्त राशियों के अंश से परिलक्षित होता है केन्द्र पर राज्य की निर्भरता में वृद्धि

हुई है। यह प्रमुखतः सहायता अनुदानों की बढ़ती हुई मात्रा न होकर, यह केन्द्रीय कर राजस्व में बढ़ते हुये अंश के कारण हुई है। इसका कारण यह हो सकता है, कि केन्द्र कर राजस्व के माध्यम से साधन जुटाने के पर्याप्त प्रयास कर रहा है।

dy ikflr;ka ds ifr'kr ds : i ea jkT; dh Lo;a dh ikflr;ka ea fxjkoV vkbz g\$ tks dlnz ij c<rh gpl fullkrk dk |krd g\$ (ijUrq jktLo 0;; ds ifr'kr ds : i ea Lo;a dh ikflr;kj c<+jgh g\$;g c<rh vkr&fullkrk dks n''krk g\$ इस तथ्य का संकेत आत्म-निर्भरता निर्देशांक संबंधी एक पूर्व परिच्छेद के विश्लेषण में भी किया गया है। जो बाहरी साधनों एवं प्राप्तियों पर अधिक निर्भरता का द्योतक है। **dy 0;; ds nks ?kVdk-jktLo 0;; एवं ipthxr 0;; ds fo'y\$kk.ea ge ikrs g\$ fd v/;; u vof/k e\$ dy 0;; ds ifr'kr ds : i ea jktLo 0;; ?kV jgk g\$ ijUrq ipthxr 0;; ea of) gpl g\$** यह अनुपात 2001-02 में 10.18% से बढ़कर 2005-06 में 19.90% हो गया। यह एक स्वस्थ विकास है। इसे बनाये रखने और सुधारने की आवश्यकता है।

- 5.8.3 सारणी के दर्शाये अनुसार **jktLo 0;; में jktLo ikflr;ka ds c<rs gq s vak ,oa jkT; ds dy 0;; ea ipthxr 0;; ds c<rs gq s vak ds ekeyka ea dy feykdj jkT; Ijdkj ds foRr dh fLFkr LoLFk g\$** इसके विपरीत **Lo;a ds dj ,oa xj&dj jktLo dh jkT; dh jktLo ikflr;ka ds ifr'kr ds : i ea fLFkr fujk'kktud irhr gkrh g\$ bl ds fy;s vko';d g\$ fd dj ,oa xj&dj Ikr I s vrfjDr I kku t\$kus dh fn'kk ea vlg vf/kd izkl fd;s tk;** एक तथ्य हम दोहराना चाहेंगे, कि निवेश बढ़ाने, अधो-संरचना निर्मित करने तथा अधोसंरचना एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिये **ipthxr 0;;** का उपयोग गैर-विभागीय सार्वजनिक इकाइयों की हानियों की, उनकी अंशपूजी में राशि लगाकर अथवा बजट के बाहर के ऋणों को सेवित करके प्रतिपूर्ति करने में नहीं किया जाना चाहिये। जहाँ-जहाँ स्वस्थ प्रवृत्तियाँ स्पष्ट दृष्टिगोचर हैं, उन्हें बनाये रखना एवं उनमें और सुधार करना होगा,

परन्तु जहाँ-जहाँ अस्वस्थ प्रवृत्तियाँ उभर रही हैं, उन्हें दबाना एवं उलटना होगा।
jkt; foRr dh l eh{k l s Li"V gkrk g\$ fd ;g jkt; ds jkt dkskh;
LokLF; ea l qkkjka dh iedk vko'; drk g

5.9.0 छत्तीसगढ़ राज्य की राजस्व संरचना :

5.9.1 नये राज्य के गठन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य को विरासत में तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य की राजस्व संरचना प्राप्त हुई। राज्य ने संस्थागत ढाँचे के अस्त-व्यस्त होने तथा उसके परिणामस्वरूप राजस्व वृद्धि में आई शिथिलता के प्रारम्भिक गतिरोध से उभरने में अधिक समय नहीं गंवाया।

5.9.2 अब हम राज्य की **dy jktLo i kflr; ka dh l jpuk** का अध्ययन करेंगे, जिसे **l kj.kh Ø- 5-11** में प्रस्तुत किया गया है।

5.9.3 **l kj.kh Ø- 5-11** से स्पष्ट है, कि जहाँ **dy jktLo i kflr; ka ea Lo; a ds l karka dk** योगदान 2001-02 के 62.07% से घटकर 2004-05 में 61.69% रह गया, तथा 2005-06 में घटकर 58.04% रह गया, वहीं **dy dlnh; gLrkaj.kka %dlnh; djka ea vak , oa l gk; rk vuqku nkuks dks feykdj½** में उसी अवधि में वृद्धि हुई है। **bl fo'y\$kk l s Li"V gkrk g\$ fd jkt; viuh jktLo i kflr; ka ds ekeys ea dlnz ij vf/kdkf/kd fullkj gks jgk g** विषय के आगे अध्ययन के लिये अब हम इस अध्याय के अगले दो परिच्छेदों में कर एवं गैर-कर राजस्व के महत्वपूर्ण व्यक्तिगत स्रोतों को विश्लेषण करेंगे।

5.10.0 राज्य की कर संरचना :

5.10.1 हम पहले ही बता चुके हैं, कि राज्य को उसकी कर संरचना तत्कालीन **e/; insk** राज्य से विरासत में मिली है तथा संरचना को बदलने में कुछ समय लगता है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले कर हैं : भू-राजस्व, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पादन कर, बिक्री कर, मोटरयान कर, वस्तुओं एवं यात्रियों पर कर, बिजली शुल्क तथा कुछ अन्य कर। संविधान की राज्य

सूची में शामिल अधिकांश राज्य कर कम लोचदार एवं कम उत्पादक हैं। *jktLo dh nř"V I s rhu I okř/kd egroi wkl dj gř fcØhdjj jkT; mRiknu dj rFkk fctyh 'křdA buea I s fcØh dj dk ; křnku jkT; ds dgy Lo; a ds dj jktLo dk 50% I s vf/kd gř* यह मात्र एक कर, *fcØh dj (vc eř; of/kř dj)* पर राज्य की उच्च निर्भरता दर्शाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि पर सब से कम भार है। एकमात्र प्रत्यक्ष कर, जो कृषि पर लगाया गया है, वह है भू-राजस्व, जिसका राज्य के कुल राजस्व में अत्यंत कम योगदान है।

5.10.2 *I kj .kh Ø- 5-12* में महत्वपूर्ण *0; fDrxr djka dk jkT; ds Lo; a ds dgy dj jktLo eafd; s tkus okys ifr'kr ; křnku* को दर्शाया गया है। राज्य के कर राजस्व का अकेला सबसे बड़ा मद बिक्री कर है, जिसका वर्ष 2005-06 में *Lo; a ds dj jktLo* में लगभग 53.08% योगदान है, इसके बाद स्थान है उत्पादन कर का (14.56%), विद्युत पर शुल्क (9.75%) तथा माल एवं यात्री कर (9.21%)। *jkT; dh dj I jpuk ea 0; fDrxr djka dh I ki ř{k d fLFkr ea dkbz ifjorũ ugha gřk gř* कर संरचना में सापेक्षिक परिवर्तनों के दृष्टिगत होने की दृष्टि से पाँच वर्ष की अवधि बहुत कम है।

5.10.3 राज्य में मोटर वाहनों की संख्या में कई गुना वृद्धि होने पर भी *ekřj; ku dj* का योगदान कुल राजस्व में घट रहा है। सापेक्षिक रूप से *jkT; mRiknu dj* का योगदान भी घट रहा है। गिरावट की यह प्रवृत्ति कर राजस्व की चोरी एवं रिसाव की ओर इशारा करती है। *LoLFk foRr , oa jkt dks'kh; Lok; rRrk ds fgr ea ; g vR; ko' ; d gř fd jkT; vius Lo; a ds dj jktLo ea of) dj* हम एक अगले अध्याय में पुनः इस विषय पर चर्चा करेंगे, जब हम राज्य की कर पुनर्रचना पर विचार करेंगे। वर्तमान में हमारा मुख्य विषय, राज्य की कर संरचना का विश्लेषण तथा उसका बदलता हुआ राजस्व ढाँचा है।

5.11.0 राज्य की गैर-कर राजस्व संरचना :

5.11.1 राज्य के राजस्व ढाँचे का द्वितीय घटक ***xj&dj jktLo*** है, परन्तु कर घटक की भाँति गैर-कर राजस्व के राज्य के कुल स्वयं के राजस्व में योगदान में भी कमी हो रही है। ***xj&dj l kr dk ; kxsku jktLo ikflr; k*** में 2001-02 के 16.51% से कम होकर 2005-06 में 14.12% रह गया। राजस्व के गैर-कर स्रोतों में ब्याज प्राप्तियाँ, राजकीय इकाइयों के डिवीडेंड एवं लाभांश तथा सामान्य एवं आर्थिक सेवाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व जैसे मद शामिल हैं। गैर-कर राजस्व के सभी मदों में से राज्य द्वारा प्रदत्त ***vkfkd l dk; s*** राज्य के गैर-कर राजस्व को अधिकांश योगदान देती हैं, यद्यपि उनका प्रतिशत अंश 2001-02 के 84.75% से बढ़कर 2005-06 में 85.08% हो गया। आर्थिक सेवाओं के इस स्रोत में अन्य मदों के अतिरिक्त वनों, खनिजों, खदानों एवं सिंचाई से प्राप्त राजस्व शामिल है।

5.11.2 ***l kj .kh Ø- 5-13*** में ***xj&dj jktLo ds foHkku l krka dk jkT; ds dg xj&dj jktLo es l kifskd ; kxsku*** दर्शाया गया है।

5.11.3 इस तथ्य के बावजूद, कि उपभोक्ता मूल्यों संबंधी बहस काफी समय से चल रही है, गैर-कर स्रोत अभी भी उस सीमा तक विकसित नहीं हुये हैं, जहाँ वे राज्य के राजस्व का पर्याप्त एवं भरोसे मन्द स्रोत हो सके। यद्यपि राजस्व के इस स्रोत की पर्याप्त संभावनायें विद्यमान हैं, इस यन्त्र के माध्यम से साधन जुटाने संबंधी निर्णय लेते समय गैर-आर्थिक तर्क, आर्थिक तर्कों पर भारी रहे हैं। उपभोक्ता मूल्यों को वसूलने संबंधी विषय अत्यधिक विवादास्पद रहा है तथा इस पर गहन बहस हुई है, परन्तु फिर भी किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सका है।

5.11.4 वर्तमान में बड़ी संख्या में सामाजिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार की सेवाओं को, जो सब्सिडी दी जा रही है या तो उन्हें मुफ्त प्रदाय किया जा रहा है अथवा उपभोक्ता मूल्य जनता को सेवा प्रदाय की लागत से कम रखा गया है। ये सब्सिडी निहित हो सकती है अथवा स्पष्ट। अनेक आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं को सार्वजनिक सब्सिडी देना केवल कल्याणकारी समाजों की ही नहीं, वरन् बाजार अर्थव्यवस्थाओं की भी सामान्य विशेषता है।

5.11.5 प्रत्येक सेवा एवं समाज के प्रत्येक वर्ग के लिये सब्सिडी देने का औचित्य नहीं है।

यह एक अत्यन्त उलझा हुआ प्रश्न है, जिस पर हम, एक अगले अध्याय में जब राज्य वित्त की पुनर्रचना पर चर्चा करेंगे पुनः लौटेंगे। अभी हमें यह देखना है, कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं को किस सीमा तक सब्सिडी दी जाती है। इस विषय के परीक्षण के लिये हम **I kj.kh Ø- 5-14** का अध्ययन करेंगे, **ftl ea jkT; I jdkj }jkk nks egRoiwKz I ok I engk**
I kelftd ,oa vkfFkd I okvka ij fd;k x;k 0; ; rFkk miHkkDrk eW; ka
ds : i ea jkT; I jdkj }jkk ol nyh xbz jkf'k दर्शायी गई है। साम्यता की माँग है, कि सामाजिक सेवाओं, विशेषकर शिक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं कल्याण, का प्रदाय निःशुल्क अथवा अति अल्प मूल्य पर किया जाना चाहिये, परन्तु यातायात, ऊर्जा, आवास, सिंचई, साधनों की आपूर्ति, जैसी सेवायें ऐसे मूल्यों पर प्रदत्त की जानी चाहिये, जिनसे उन्हें प्रदाय करने की लागत वसूली जा सके। **I kj.kh Ø- 5-14** में यह जानकारी प्रस्तुत की गई है, कि **jkT; ea I kelftd ,oa vkfFkd I okvka dh vki rZ I s miHkkDrk eW; ka dh ol nyh** कहाँ तक होती है।

5.11.6 **I kj.kh Ø- 5-14** विभिन्न सेवाओं पर किये गये राजस्व व्यय की तुलना में जुटाये गये साधनों का एक अशोधित संकेतक प्रस्तुत करती है। **I kelftd I okvka** के संबंध में 2005-06 में **ol nyh vuqkr** 1.04% रहा है, जिसका अभिप्राय है, कि इन सेवाओं के प्रदाय से जुटाया गया राजस्व, **dy fd;s x;s 0; ;** का मात्र एक प्रतिशत रहा है, परन्तु **vkfFkd I okvka dk ol nyh vuqkr** यद्यपि अधिक है, परन्तु उसमें गिरावट हुई है तथा यह 2001-02 के 53.21% से घटकर 2005-06 में 48.95% रह गया है। यह चौंकाने वाला है। यह इस बात का द्योतक है, कि राज्य के खजाने से समाज के सम्पन्न वर्गों को सब्सिडी जा रही है। विचाराधीन अवधि में सार्वजनिक सेवाओं से उपभोक्ता मूल्यों की वसूली के रूप में प्राप्त शासकीय निवे 1 पर लाभ को धक्का पहुँचा है। यह सही है, कि सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें अनेक प्रकार के एवं बड़ी मात्रा में बाहरी लाभ सृजित करती हैं, जिनमें

जनसंख्या वृद्धि में कमी, गरीबी में कमी, आय वितरण में सुधार, अपराधों में कमी, नई तकनीक का त्वरित अपनाना, प्रजातंत्रिक संस्थाओं का सशक्तीकरण, नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करने वाली संस्थाओं का उन्नयन, इत्यादि शामिल हैं। इन बाहरी लाभों को आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं के उपर्युक्त **yxr&ykk fo'yšk.k** में शामिल नहीं किया गया है। इन्हें शामिल करने के बाद निश्चित ही सब्सिडी के लिये हमारे विरोध में कमी आयगी। इनकी अनुपस्थिति में सामान्यतया सब्सिडी को राजकोषीय भार माना जाता है।

5.12.0 छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक व्यय की प्रवृत्तियाँ :

5.12.1 एक संरचनात्मक समस्या जो राज्य के समक्ष उत्पन्न होती है, वह प्रायः व्यय की तीव्र वृद्धि के रूप में उभरती है। एक बार जब सरकार किसी मद पर व्यय करना प्रारम्भ करती है, तो समय के साथ-साथ व्यय का संवेग बढ़ता है, परन्तु मात्र सार्वजनिक व्यय में वृद्धि को सार्वजनिक वित्त के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं माना जा सकता। सार्वजनिक वित्त के सिद्धांत के विरुद्ध, जिसे माना जा सकता है, वह है अनुत्पादक एवं गैर-विकास व्यय में वृद्धि करने के उद्देश्य से विकास व्यय में कटौती करना। देश में आर्थिक सुधारों के लागू होने के बाद से सार्वजनिक व्यय की भूमिका में बदलाव आया है, यद्यपि उसमें कमी नहीं हुई है। यह सही है, कि अब साधनों की उपलब्धता एवं उनका वैकल्पिक उपयोगों में आबंटन बाज़ार के द्वारा होता है तथा अनेक आर्थिक क्रियाओं को सार्वजनिक क्षेत्र से निकालकर, निजी क्षेत्र ने ले लिया है, फिर भी यह तथ्य अपनी जगह है, कि भौतिक अधो-संरचना का निर्माण एवं उसमें सुधार एवं मानवीय संसाधनों के विकास का उत्तरदायित्व राज्य का है। अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियायें, जैसे लोक परिवहन, सिंचाई, भंडारण, ऊर्जा, कृषि विकास, पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं का विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवायें राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। सार्वजनिक व्यय तथा उसका प्रकार एवं प्राथमिकतायें, बाज़ार की शक्तियों के द्वारा किये जाने वाले निवेश की दिशा में मात्रा को लगातार प्रभावित करते रहेंगे।

5.12.2 राज्य के *I kołtfud 0; ; dh I ĵpuk* के अध्ययन से हम पाते हैं, कि कुल *ĵktLo 0; ;* का लगभग 1/3 *I kekk; I 0kvk* पर व्यय होता है तथा यह संख्या *ĵktLo 0; ;* के 33% से 35% के बीच लगभग स्थिर रही है, परन्तु दुःखद बात यह है, कि *I kełftd I 0kvk* पर होने वाले व्यय में 2001-02 के 38.95% की तुलना में 2004-05 में कमी होकर वह 34.22% हो गया, यद्यपि बाद के वर्ष में उसमें वृद्धि का पूर्वानुमान है। *I kełftd I 0kvk* के बीच यदि देखें, *f'kk* का अंश 2001-02 के 14.13% से बढ़कर 2005-06 में 16.72% हो गया, जो संतोषजनक है, परन्तु *ĵkd LokLF; ,oa ifĵokj dY;k.k* पर व्यय, *dĵ ĵktLo 0; ;* के अंश के रूप में कमी के बाद वृद्धि दर्शाता है। राज्य में बिगड़ती हुई *I kołtfud LokLF; I 0kvk* के वृहद संदर्भ में यह निराशाजनक है। इसी प्रकार कुछ अन्य *I kełftd I 0kvk* जैसे *ty vki ĵrĵ ,oa LoPNrkĵ vuĵ ĵpr tkfr ,oa tu tkfr dY;k.k* के भी अपने-अपने अंशों में गिरावट हुई है।

5.12.3 *vkffkd I 0kvk* जिन पर भौतिक अधो-संरचना का विकास एवं अन्य विकास क्रियाएँ प्रमुखतः निर्भर करती हैं, के सार्वजनिक व्यय के अंश में उतार-चढ़ाव होते रहे हैं, वर्ष 2001-02 में *vkffkd I 0k; dĵ ĵktLo 0; ;* में 23.41% थी, जो बढ़कर 2003-04 में 29.05% हो गई परन्तु अगले दो वर्षों में इनमें लगातार गिरावट होकर, यह क्रमशः 27.11% एवं 26.76% रह गई। यह गिरावट अनुचित है तथा राज्य अर्थव्यवस्था के हित के विरुद्ध है। *vkffkd I 0kvk* में जिन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है वे हैं, कृषि एवं सम्बद्ध क्रियायें, ऊर्जा एवं ग्रामीण विकास, उद्योग एवं खनन। शेष उप-क्षेत्रों, जैसे सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, एवं परिवहन के अपने-अपने अंशों में गिरावट हुई है। *LFkkh; fudk; k ds vk e of) ĵpĵ ĵ* पिछले 5 वर्षों में किया गया साधनों का ऐसा बजटीय आबंटन विकासोन्मुख एवं राज्य की उन आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप नहीं प्रतीत होती, जिन्हें हमने एक पूर्व अध्याय— *~NRrhl x<+ĵkT; dh vFkd; oLFkk* में चिह्नित किया था।

5.12.4 I kj .kh Ø- 5-15 में jkT; ea jktLo y[ks ds I koZtfud 0; ; dh I jpuk को दर्शाया गया है।

5.13.0 पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ :

5.13.1 कुल मिलाकर, **ipthxr 0; ;** को उत्पादक माना जाता है। वह उत्पादक आस्तियों का निर्माण करता है तथा आय एवं रोजगार का सृजन करता है। जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा है, भारत के अधिकांश राज्यों में एवं केन्द्र में **jktLo 0; ;** की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **ipthxr 0; ;** में कटौतियाँ हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप **jktLo ?kkVk** एवं **jkt dkskh; ?kVs** में वृद्धि हुई है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, **Åps jktLo ?kVs ds dkj.k mRilu Åps jkt dkskh; ?kVs vkfFkd , oa I kelftd nFV I s okNuh; ugha g\$ i jUrqmPp ipthxr 0; ; I s mRilu jkt dkskh; ?kVs dk jkT; vFkD; oLFk ij LoLFk iHko gks I drk g\$** क्योंकि वे अधिक उत्पादक आस्तियों का निर्माण करते हैं, जो अधिक आय सृजित करते हैं तथा राज्य को अधिक कर एवं गैर-कर राजस्व उपलब्ध कराते हैं। **jkT; foRr dk , d I qkn igyw; g jgk g\$ fd ml ds ipthxr 0; ; ea rhoz of) gpZ g\$** यह संलग्न I kj .kh Ø- 5-16 में दर्शाया गया है। वर्ष 2001-02 के रूपये 557.13 करोड़ के स्तर से **ipthxr 0; ;** की मात्रा लगभग चार गुना बढ़कर वर्ष 2005-06 में रूपये 2137.53 करोड़ हो गयी। **dy 0; ; ds ifr'kr ds : i ea ipthxr 0; ;** 2001-02 के 10.18% से बढ़कर 2005-06 में 19.90% हो गया। राज्य के **I -jk-?km- ds ifr'kr ds : i ea** यह इसी अवधि में 1.89% से बढ़कर 4.12% हो गया। यह एक स्वस्थ राजकोषीय विकास है और इसलिये उसे बनाये रखने एवं जारी रखने की आवश्यकता है।

5.14.0 छत्तीसगढ़ राज्य का सार्वजनिक ऋण :

- 5.14.1 राज्य वित्त की कोई भी समीक्षा उसकी **__ .k l xdkh fLFkr** के मूल्यांकन के बिना पूर्ण नहीं कहलायेगी। सार्वजनिक ऋण वित्त का एक प्रमुख स्रोत है तथा सार्वजनिक ऋण नीति राजकोषीय नीति का एक प्रमुख यन्त्र मानी जाती है।
- 5.14.2 अब हम, छत्तीसगढ़ **jkt; ds l kołtfud __.k** की एक त्वरित समीक्षा करेंगे। सार्वजनिक ऋण भार के दो प्रमुख संकेतक हैं : (i) **__ .k l -jk-?k-m-vuq kr** तथा (ii) **C; kt Hkqrku jkt; dh day jktLo ikflr; ka ds ifr'kr è**। राज्य के सार्वजनिक ऋण की धारण क्षमता के निर्धारण के ये दो मानक मापदण्ड हैं, परन्तु इस संबंध में कुछ मत भिन्नता है। **ekud eki n.Mka ds l nHkZ ea n[kus ij Kkr gqk g\$ fd NRrhl x< jkt; nkuka eki n.Mka ds vk/kkj ij l qkn fLFkr ea gA**
- 5.14.3 **l kj .kh Ø 5-17** में हमने **NRrhl x<+ dk __.k l -jk-?k-m- vuq kr** प्रस्तुत किया है तथा उसकी तुलना मध्यप्रदेश एवं गैर-विशेष श्रेणी राज्यों से की है।
- 5.14.4 छत्तीसगढ़ राज्य का **__ .k l -jk-?k-m- vuq kr e/; insk** तथा **xj&fo'kšk Jskh jkt; ka ds vkj r** दोनों से कम है। यह मान्य अनुपात के अन्दर भी है। इस संदर्भ में हम, एक महत्वपूर्ण बिन्दु रेखांकित करना चाहेंगे, कि अनुपात का निर्धारण किसी पूर्व निर्धारित अंक सीमा में करना सही नहीं होगा, क्योंकि ऋण धारण क्षमता अधिकांशतः ऋण पर दी जाने वाली ब्याज दर एवं सार्वजनिक निवेश से अपेक्षित लाभ के बीच संबंध पर निर्भर होती है। **Li "Vr%fdl h Hkh Lrj dk __.ki k\$kr fuošk] tks C; kt+nj l s vf/kd ifrQy dk l `tu djrk g\$ /kkj{ke gA** अतएव सार्वजनिक ऋण की किसी दिये गये स.रा.घ.उ. के अनुपात के संदर्भ में पुनर्चना करने का कोई अर्थ नहीं है। निश्चित ही एक निम्न अनुपात भी अ-धारक्षम हो सकता है, यदि ऋण की राशि का उपयोग चालू व्ययों के प्रतिशत अथवा राजस्व घाटे को कम करने के लिये किया जाता है। यह प्रमुखतः सार्वजनिक ऋण के राजस्व घाटे के वित्त पोषण के लिये उपयोग करने के कारण ही था, कि 1995-96 एवं 2001-02 की अवधि में केन्द्र एवं राज्यों में अत्यधिक राजकोषीय असंतुलन निर्मित हुये थे।

5.14.5 ऋण की धारण क्षमता निर्धारण का दूसरा मापदण्ड $C; kt + Hkxrk d k dy jktLo i kflr; k\alpha I s vuqkr$ है। I kj.kh Ø- 5-18 में संबंधित समंक प्रस्तुत किये गये हैं। सारणी दर्शाती है, कि $jktLo i kflr; k\alpha ds ifr'kr ea jkT; ds C; kt Hkxrk d k Hkj$ तुलनात्मक रूप से $e/; ins'k , oans'k ds xj&fo'k'sk Js kh jkT; k\alpha ds vkI r$ से कम है।

5.14.6 सार्वजनिक ऋण की धारण क्षमता का मूल्यांकन करने हेतु केवल सार्वजनिक ऋण की मात्रा एवं उस पर देय ब्याज भुगतान पर विचार पर्याप्त नहीं है। इसके लिये ऋण की गुणवत्ता, जो प्रमुखतः राशियों के स्रोत जहाँ से ऋण लिया गया है एवं वे शर्तें जिन पर ऋण लिया गया है पर भी विचार आवश्यक है। इस संदर्भ में हम छत्तीसगढ़ राज्य के सार्वजनिक ऋण की संरचना का अध्ययन करेंगे। I kj.kh Ø- 5-19 में $NRrhl x<+ ds I ko\textit{t}fud _ .k dh jpuk$ दी गई है $rFkk ml dh rgyuk I Hkh jkT; k\alpha dh I exz fLFkfr I s dh xbz g\textit{y}$

5.14.7 सारणी दर्शाती है, कि राज्य सरकार को दिये गये $d\textit{h}nh; _ .k NRrhl x<+jkT; ds I ko\textit{t}fud _ .k$ के सबसे बड़े घटक हैं तथा ये मार्च 2004 के अंत में $dy _ .k$ के 52% एवं मार्च 2005 के अंत में 48.4% थे, जबकि देश के कुल गैर-विशेष श्रेणी राज्यों का यह प्रतिशत 27.12% था। प्रायः ये बाजार ऋण होते हैं, जिन्हें केन्द्र, चालू ब्याज दरों पर लेते हैं तथा राज्यों को बाजार दर से अधिक पर उधार देते हैं। क्रमशः राज्यों की केन्द्र पर निर्भरता में कमी हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य को भी केन्द्र से अपनी उधारी कम करनी होगी। केन्द्र ने भी राज्यों के लिये बाजार से ऋण नहीं लेने का निर्णय लिया है, परन्तु राज्य सरकारों को सीधे केन्द्र के नियन्त्रणाधीन बाजार से ऋण उठाने की अनुमति दी है। हाल के वर्षों में बाजार ऋण राज्य सरकारों के लिये राशियों के सबसे सस्ते साधन के रूप में उभरे हैं,

परन्तु बाजार ऋणों तक राज्यों की पहुँच स्वयं की आवश्यकताओं एवं बाजार की तरलता की स्थिति को ध्यान में रखते हुये, केन्द्र द्वारा नियंत्रित है। बाजार ऋणों पर राज्य की निर्भरता वर्ष 2004 में कुल के 26.8% से बढ़कर 2005 में 29.52% हो गई। यह प्रतिशत सभी राज्यों की औसत से अधिक है। बाजार ऋणों के दो लाभ होते हैं। प्रथम, ब्याज दरें प्रतिस्पर्धात्मक होने से कम होती है तथा दूसरा, बाजार ऋण उन योजनाओं की धारण क्षमता के मूल्यांकन का कार्य करते हैं, जिनके लिये राज्य सरकार उधार लेना चाहती है।

5.14.8 **jkT; I jdkj ds __.kka** की एक संतोषजनक विशेषता यह रही है, कि राज्य सरकार अपनी चालू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अर्थोपाय अग्रिमों पर निर्भर नहीं रही है। **dy feykdj I koitfud __.k ds I xak ea jkT; I jdkj dh fLFkr dkQh I q[kn , oa/kkj{ke g\$ ijUrq jkT; ds nh?kdkyhu fodkl ds fgr eabl dh iqjpk vko'; d g** एक अगले अध्याय में हम राज्य सरकार के वित्त की पुनर्रचना के साथ-साथ सार्वजनिक ऋण की पुनर्रचना के सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

सारणी क्र. 5.1
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित
राजस्व व घाटा का प्रतिशत
1992-93, 1995-96, 2000-01 से 2005-06 तक

क्र.	विवरण	92-93	95-96	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06
1.	राजस्व प्राप्तियां (अ+ब)	11.0	9.3	9.2	8.8	9.4	9.6	9.8	9.9
(अ)	कर राजस्व (केन्द्र को शुद्ध)	8.0	6.9	6.6	5.9	6.5	6.8	7.2	7.8
(ब)	गैर-कर राजस्व	3.0	2.4	2.7	3.0	2.9	2.8	2.6	2.1
2.	पूंजीगत प्राप्तियां	5.4	4.9	6.4	7.1	7.4	7.7	6.4	4.1
3.	द्वि-वर्षीय वृद्धि	16.4	14.2	15.6	15.9	16.8	17.2	16.2	14.0
4.	द्वि-वर्षीय वृद्धि	18.2	15.0	15.6	15.9	16.9	17.1	15.9	14.4
(अ)	राजस्व व्यय	13.8	11.8	13.3	13.2	13.8	13.1	12.3	12.5
(ब)	पूंजीगत व्यय	4.4	3.2	2.3	2.7	3.0	4.0	3.6	1.9
5.	राजस्व घाटा	2.8	2.5	4.0	4.4	4.4	3.6	2.5	2.6
6.	राजकोषीय घाटा	6.0	5.1	5.6	6.2	5.9	4.5	4.0	4.1
7.	प्राथमिक घाटा	1.4	0.9	0.9	1.5	1.1	0.03	0.08	0.5

(स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक, वार्षिक प्रतिवेदन, 2005 एवं 2006)

भारतीय रिजर्व बैंक, Handbook of statistics of Indian Economy, (2004)

सारणी क्र. 5.2
 राजस्व; कर; सहायक शुल्क; राजस्व
 का परिवर्तन % 2004-05, 2009-10
 2004&05 , 2009&10

क्र.	विवरण	2004&05	2009&10	2009&10 % 2004&05	वर्धन % 2004&05
1	2	3	4	5	6
1.	सकल कर राजस्व	9.7	10.9	1.2	0.24
2.	कर राजस्व (केन्द्र के लिये निबल)	7.2	7.9	0.8	0.16
3.	राजस्व	2.2	2.2	0.0	0.01
4.	राजस्व	9.4	10.2	0.8	0.17
5.	ब्याज भुगतान	4.2	2.8	-1.3	-0.26
6.	राजस्व घाटा	11.9	10.2	-1.7	-0.33
7.	पूँजीगत व्यय	3.0	3.5	0.5	0.10
8.	राजस्व घाटा	14.8	13.7	-1.2	-0.23
9.	राजस्व घाटा	2.5	0.0	-2.5	-0.50
10.	राजकोषीय घाटा	4.5	3.0	-1.5	-0.29
11.	प्राथमिक घाटा	0.3	0.2	-0.2	-0.03
12.	ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्तियाँ	44.5	28.0	-16.6	-3.32

(स्रोत: XIIवां वित्त आयोग-2004, पृष्ठ 75)

सारणी क्र. 5.3
राज्यीय वित्त प्रवृत्तियों का विश्लेषण
1990-91 से 2005-06 तक
1990-91, 1995-96, 2001-02 से 2005-06 तक

क्र.	विवरण	90&91	95&96	2001&02	02&03	03&04	04&05	2005&06 % -v-½
I.	कुल प्राप्तियाँ	16.0	15.2	16.7	17.2	18.2	18.6	17.4
1.	राज्यीय वित्त	11.7	11.5	11.2	11.3	11.2	11.9	12.9
i)	राज्यो का स्वयं का राजस्व	7.0	7.3	7.2	7.2	7.1	7.6	7.7
ii)	स्वयं का कर राजस्व	5.3	5.4	5.8	5.8	5.7	6.1	6.4
iii)	अन्य राजस्व (स्वयं का)	1.6	1.9	1.4	1.4	1.3	1.5	1.3
2.	केन्द्रीय हस्तांतरण	4.7	4.2	4.0	4.1	4.1	4.3	5.2
i)	करों में अंश	2.5	2.4	2.1	2.3	2.4	2.5	2.6
ii)	सहायता अनुदान	2.3	1.8	1.9	1.8	1.8	1.8	2.6
3.	पूंजीगत प्राप्तियाँ	4.4	3.7	5.5	5.9	7.5	6.7	4.6
i)	केन्द्र से ऋण	2.5	1.6	1.1	1.1	0.9	0.9	0.3
ii)	अन्य पूंजीगत प्राप्तियाँ	1.9	2.0	4.4	4.9	6.6	5.8	4.3
II.	समग्र व्यय	16.0	14.9	16.6	17.0	18.7	18.3	17.3
1.	पूंजीगत व्यय	12.6	12.2	13.9	13.5	13.4	13.1	13.3
2.	पूंजीगत व्यय	3.4	2.7	2.8	3.5	5.3	5.2	3.9
3.	विकास व्यय	11.1	9.7	9.5	9.2	9.9	9.4	10.3
4.	गैर विकास व्यय	4.0	4.7	6.1	6.1	6.0	6.0	5.8
III.	वैयक्तिक व्यय	3.3	2.6	4.2	4.1	4.4	3.5	2.7
IV.	वैयक्तिक व्यय	0.9	0.7	2.6	2.2	2.2	1.2	0.05
V.	वैयक्तिक व्यय	1.8	0.8	1.5	1.3	1.5	0.7	0.2

(स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक— वार्षिक रिपोर्ट 2004–05, 2005–06), हैंडबुक ऑफ़ स्टेटिक्स ऑन इंडियन इकोनोमि, स्टडी ऑफ़ स्टेट फाइनेंस)

सारणी क्र. 5.4
जिडीपी के विकास दर का अनुपात 2004-05 और 2009-10

क्र. सं.	विवरण	विकास दर (%)		विकास दर का अंतर (2009-10 - 2004-05)
		2004&05	2009&10	
1	2	3	4	5
1.	स्वयं का कर राजस्व	5.9	6.8	0.17
2.	कुल कर राजस्व	8.4	9.7	0.25
3.	स्वयं का <i>सिटी</i> राजस्व	3.2	3.5	0.07
4.	जिडीपी	11.4	13.2	0.32
5.	ब्याज भुगतान	2.9	2.0	-0.18
6.	जिडीपी	13.6	13.2	-0.08
7.	पूँजीगत व्यय	2.6	3.1	0.10
8.	कुल व्यय	16.2	16.3	0.01
9.	जिडीपी	2.00	0.0	-0.40
10.	जिडीपी	4.5	3.0	-0.30
11.	जिडीपी	1.6	1.0	-0.12
12.	ऋण देनदारियाँ	30.3	30.8	0.11
13.	ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति	24.9	15.0	-1.99

(स्रोत: XIIवाँ वित्त आयोग, पृष्ठ 75)

सारणी क्र. 5.5
jkT; Ijdkj dh ctVh; fLFkr
¼ 2001&02 I s 2005&06 ½

क.	en	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (RE)
1	2	3	4	5	6	7
I	jkTLo ikflr; k	4375.70	5417.30	5959.32	7248.87	9384.43
(i)	राज्य का स्वयं का राजस्व(अ+ब)	2715.52	3284.00	3712.66	4471.80	5446.96
(a)	स्वयं का कर राजस्व	1993.14	2327.44	2588.25	3227.87	4122.21
(b)	स्वयं का गैर-कर राजस्व	722.38	956.56	1124.41	1243.93	1324.75
(ii)	केंद्र से प्राप्तियाँ(अ+ब)	1660.18	2133.30	2246.66	2777.07	3937.47
(a)	केंद्रीय करों के अं T	1175.79	1349.90	1569.70	1876.22	2400.02
(b)	सहायता अनुदान	484.39	783.40	676.96	900.85	1537.45
II	ipthxr ikflr; k ¼/\$c\$1 ½	1176.89	844.39	2469.93	1256.83	1210.90
(a)	ऋणो एवं अग्रिमों की वसूली	9.09	18.68	10.65	14.80	40.86
(b)	भुद्ध लोक ऋण	810.59	1200.31	1654.14	758.16	934.73
(c)	भुद्ध लोक लेखा	357.21	-374.60	805.14	483.87	235.31
III	dy ikflr; k ¼ + II½	5552.59	6261.69	8429.25	8505.70	10595.33
IV	jkTLo 0; ; ¼/\$c½	4914.12	5530.00	6600.42	7103.05	
(a)	राजस्व व्यय योजना	1016.44	1269.72	1541.05	1620.07	2565.42
(b)	राजस्व व्यय गैर योजना (ब्याज भुगतान)	3897.68	4260.28	5059.37	5482.98	6037.25
		702.01	809.86	1053.80	1151.91	1010.36
V	dy ipthxr 0; ; ¼/\$c½	557.13	878.59	1573.18	1392.17	2137.53
(a)	पूँजीगत व्यय	476.26	819.79	1015.49	1279.13	1762.64
(b)	ऋण एवं अग्रिम	80.87	58.80	557.69	113.04	374.89
VI	dy 0; ; (IV+V)	5471.25	6408.59	8173.60	8495.22	10740.20
VI	?kVs					
I	jkTLo ?kVk (I-IV)	-538.42	-112.70	-641.10	145.82	781.76
(a)						
(b)	jkTdksh; ?kVk {(I+II(A))-VI}	-1086.46	-972.61	-2203.63	-1231.55	-1314.91
(c)	ikFfed ?kVk ¼jkt dks kh; ?kVk & C; kt Hkqrku	-384.45	-162.76	-1149.83	-79.65	-304.55

(स्रोत : विभिन्न वर्षों के 'बजट' संक्षेप में तथा विभिन्न वर्षों के लिये वित्त सचिव के वित्तीय विवरण)

सारणी क्र. 5.6

जित्त के लिये बजट का अनुमानित अंतराल
 2001-02 से 2005-06 तक

वर्ष	जित्त के लिये बजट का अनुमानित अंतराल	जित्त के लिये बजट का अनुमानित अंतराल	जित्त के लिये बजट का अनुमानित अंतराल	जित्त के लिये बजट का अनुमानित अंतराल	जित्त के लिये बजट का अनुमानित अंतराल		
					जित्त के लिये बजट का अनुमानित अंतराल	जित्त के लिये बजट का अनुमानित अंतराल	जित्त के लिये बजट का अनुमानित अंतराल
1	2	3	4	5	6	7	8
2001-02	-1.82	-3.68	-1.3	49.56	2.6	4.2	1.5
2002-03	-0.36	-3.08	-0.52	11.59	2.2	4.1	1.3
2003-04	-1.83	-6.28	-3.28	29.09	2.2	4.4	1.5
2004-05	0.37	-3.16	-0.20	-	1.2	3.5	0.7
2005-06 अनुमानित	1.81	-3.04	-0.70	-	0.05	2.7	0.2

सारणी क्र. 5-7

जित्त के लिये बजट का अनुमानित अंतराल
 2001-02 से 2005-06 तक

क्र.सं.	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 अनुमानित
1	2	3	4	5	6	7
1.	स्वयं का कर राजस्व	6.75	7.37	6.94	7.34	7.94
2.	स्वयं का <i>खर्च</i> राजस्व	2.44	3.03	3.02	2.83	2.55
3.	कुल स्वयं के साधन	9.19	10.40	9.96	10.17	10.50
4.	केन्द्र से प्राप्तियाँ	5.62	6.75	6.03	6.31	7.59
5.	राजस्व प्राप्तियाँ	14.81	17.15	15.99	16.48	18.08
6.	पूँजीगत प्राप्तियाँ	3.98	2.67	6.63	3.23	2.80
7.	कुल प्राप्तियाँ	18.79	19.82	22.61	19.34	20.42

8.	राजस्व लेखे में कुल व्यय	16.63	17.51	17.71	16.15	16.58
9.	पूँजीगत व्यय	1.89	2.78	4.22	3.17	4.12
10.	कुल व्यय	18.52	20.29	21.93	19.31	20.69

(बजटीय संमकों एवं स.रा.घ.उ.के प्रक्षेपित अनुमानों से प्रगणित)

सारणी क्र. 5.8

राज्य-वार राजस्व व्यय का अनुमान, 2000-01
 2000-01 से 2001-02 तक का अनुमान

क्र.	राज्य	2000-01	2001-02
1.	आन्ध्रप्रदेश	7.27	
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.21	
3.	आसाम	4.29	
4.	बिहार	4.24	
5.	छत्तीसगढ़	6.38	
6.	गोवा	6.80	
7.	गुजरात	7.74	
8.	हरियाणा	7.78	
9.	हिमाचल प्रदेश	5.04	
10.	जम्मू एवं कश्मीर	3.92	
11.	झारखण्ड	4.85	
12.	कर्नाटक	8.18	
13.	केरल	7.81	
14.	मध्यप्रदेश	5.49	
15.	महाराष्ट्र	7.49	
16.	मनीपुर	1.14	
17.	मेघालय	3.25	
18.	मिजोरम	0.79	
19.	नागालैण्ड	1.17	
20.	उड़ीसा	5.16	
21.	पंजाब	6.73	
22.	राजस्थान	6.14	
23.	सिक्किम	4.04	
24.	तामिलनाडू	8.63	
25.	उत्तरप्रदेश	5.45	
26.	त्रिपुरा	2.12	

27.	उत्तरांचल	5.88
28.	पश्चिम बंगाल	4.22
I Hkh jkT;		6.54

(स्रोत: XIIवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, पृष्ठ 417)

सारणी क्र. 5.9
jkT dks'kh; vkRe&fuHkjr k dk fun'z kkd
¼ 1993&94 I s 1995&96 , oa 2000&01 I s 2002&03½

Ø-	jkT;	Lo; a dk jkTLo@ jkTLo 0; ; ¼ fr'kr½		I eLr jkT; ka I s vuq kr		I qk'j fun'z kkd ¼ vuq kr½
		vk' r 1993&94 1995&96	vk' r 2000&01 2002&03	1993&94 1995&96	2000&01 2002&03	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्रप्रदेश	59.22	59.46	1.04	1.18	1.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.27	9.51	0.36	0.19	0.53
3.	आसाम	30.24	32.66	0.53	0.65	1.23
4.	बिहार	34.21	24.78	0.60	0.49	0.82
5.	छत्तीसगढ़	56.68	58.24	0.99	1.16	1.17
6.	गोवा	77.92	73.97	1.37	1.47	1.08
7.	गुजरात	79.57	58.81	1.40	1.17	0.84
8.	हरियाणा	75.48	77.62	1.32	1.55	1.17
9.	हिमाचल प्रदेश	25.68	21.94	0.45	0.44	0.97
10.	जम्मू एवं कश्मीर	16.93	21.10	0.30	0.42	1.42
11.	झारखण्ड	34.21	54.36	0.60	1.08	1.81
12.	कर्नाटक	73.62	61.52	1.29	1.23	0.95
13.	केरल	63.69	54.24	1.12	1.08	0.97
14.	मध्यप्रदेश	56.68	48.83	0.99	0.97	0.98
15.	महाराष्ट्र	80.09	67.50	1.40	1.34	0.96
16.	मनीपुर	9.45	7.49	0.17	0.15	0.90
17.	मेघालय	19.74	19.35	0.35	0.39	1.11
18.	मिजोरम	6.55	5.60	0.11	0.11	0.97
19.	नागालैण्ड	9.44	6.85	0.17	0.14	0.82
20.	उड़ीसा	37.56	34.32	0.66	0.68	1.04
21.	पंजाब	69.59	57.71	1.22	1.15	0.94
22.	राजस्थान	52.03	45.81	0.91	0.91	1.00
23.	सिक्किम	16.30	18.24	0.29	0.36	1.27
24.	तामिलनाडू	68.56	64.60	1.20	1.29	1.07
25.	त्रिपुरा	10.22	13.76	0.18	0.27	1.53

26.	उत्तरप्रदेश	42.55	41.48	0.75	0.83	1.11
27.	उत्तरांचल	42.55	37.19	0.75	0.74	0.99
28.	पश्चिम बंगाल	50.70	32.20	0.89	0.64	0.72
I Hh jkT;		57.02	50.20	1.00	1.00	1.00

(स्रोत: XIIवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, पृष्ठ-418)

सारणी क्र. 5.9 (अ)

jkT; dk vRrefullkjrk funz kkd& I qkkj funz kkd %vuq kr½

vof/k vkj r	vof/k vkj r	vof/k vkj r	I qkkj funz kkd %vuq kr½	
1	2	3	4	5
1993-94 से 1995-96	2000-01 से 2002-03	2001-02 से 2003-04	2000-01 से 2002-03	2001-02 से 2003-04
56.68%	58.24%	56.97%	1.17	0.89

(स्रोत : बजटीय समकों से प्रगणित)

सारणी क्र. 5.10

**ikflr; ka, oa0; ; ds dN egRoi wkZ vuq kr
½2001&02 I s 2005&06½**

Ø-	I adrkad	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
1.	स्वयं का कर राजस्व, कुल राजस्व प्राप्तियों के % में	45.55	42.96	43.43	44.53	43.93
2.	स्वयं का गैर-कर राजस्व कुल राजस्व प्राप्तियों के % में	16.51	17.66	18.87	17.16	14.12
3.	कुल स्वयं का राजस्व, कुल राजस्व प्राप्तियों के % में	62.06	60.62	62.30	61.69	58.04
4.	केन्द्र से प्राप्त राशियाँ, कुल राजस्व प्राप्तियों के % में	37.94	39.38	37.70	38.31	41.96
	केन्द्रीय करों में अंश, राजस्व प्राप्तियों के % में	26.87	24.92	26.34	25.88	25.57
5.	राजस्व प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियों के % में	78.80	86.51	70.70	85.22	88.57
6.	कुल कर राजस्व (स्वयं का + केन्द्रीय करों में अंश) राजस्व प्राप्तियों के % में	72.42	67.88	69.77	70.41	69.50
7.	स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ, कुल प्राप्तियों के % में	40.91	52.45	44.04	52.57	51.41
8.	पूँजीगत प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियों के % में	21.20	13.49	29.30	14.78	11.43
9.	कुल स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व	55.26	59.39	56.25	62.96	63.32

	व्यय के % में					
10.	कुल स्वयं की राजस्व प्राप्तियाँ कुल व्यय के % में	49.63	51.24	45.42	52.64	50.72
11.	राजस्व व्यय, कुल व्यय के % में	89.82	86.29	80.75	83.61	80.10
12.	पूँजीगत व्यय, कुल व्यय के % में	10.18	13.71	19.25	16.39	19.90

(स्रोत: बजट प्रदत्त राजकोषीय समंकों एवं वित्त सचिव के विवरणों से प्रगणित)

सारणी क्र. 5.11

jkT; dh jktLo ikflr; ka dh l jpk

½dy jktLo ikflr; ka ds % ea ½

½2001&02 l s 2005&06½

Ø-	l drkd	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
I. Lo; a ds l k/ku						
i)	स्वयं का कर राजस्व	45.55	42.96	43.43	44.53	43.93
ii)	गैर-कर राजस्व	16.51	17.66	18.87	17.16	14.12
I.	dy Lo; a dk jktLo (i + ii)	62.87	60.62	62.30	61.69	58.04
II. dñh; gLrkj.k						
i)	केन्द्रीय करों में अंश	26.87	24.92	26.34	25.88	25.57
ii)	सहायता अनुदान	11.07	14.46	11.36	12.43	16.39
II.	dy dñh; gLrkj.k (i + ii)	37.94	39.38	37.70	38.31	41.96
egk; ksx ¼ \$ II½		100	100	100	100	100

(स्रोत- राज्य के बजटीय समंकों से प्रगणित)

सारणी क्रमांक 5.12

jkT; ds dy Lo; a ds dj jktLo ea 0; fDrxr djka dk vak

½2001&02 l s 2005&06½

(% ea)

dž	dj	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
1.	भू राजस्व	0.83	0.54	0.15	0.89	1.09
2.	स्टाम्प एवं पंजीकरण	6.09	6.36	6.60	7.68	6.31
3.	राज्य उत्पादन कर	15.73	15.54	15.55	14.20	14.56
4.	बिक्रीकर	47.17	47.37	50.17	51.86	53.08

5.	मोटर वाहन कर	6.27	6.78	6.45	5.94	5.46
6.	माल एवं सवारियों पर कर	9.85	10.81	8.89	8.90	9.21
7.	विद्युत पर शुल्क	11.34	10.50	10.37	9.57	9.75
8.	अन्य कर	2.72	2.10	1.82	0.97	0.54

(स्रोत : बजटीय समकों से प्रगणित)

सारणी क्र. 5.13
 राजकोषीय सेवायें (ब्याज एवं लाभांश) 2001-02 से 2005-06

क्र.	विवरण	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
1	राजकोषीय सेवायें (ब्याज एवं लाभांश)	7.49	12.67	13.99	8.14	8.31
2	सामान्य सेवायें	4.24	8.70	8.80	5.26	3.89
3	सामाजिक सेवायें	3.52	3.33	2.11	1.84	2.72
4	आर्थिक सेवायें	84.75	75.30	75.11	84.76	85.08
	कुल	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

सारणी क्र. 5.14
 राजकोषीय सेवायें (ब्याज एवं लाभांश) 2001-02 से 2005-06

(करोड़ रु. में)

वर्ष	राजकोषीय सेवायें		सामान्य सेवायें		सामाजिक सेवायें	
	राजकोषीय सेवायें	सामान्य सेवायें	सामाजिक सेवायें	आर्थिक सेवायें	कुल	कुल
1	2	3	4	5	6	7
2001-02	25.44	612.20	1913.85	1150.59	1.33 %	53.21%
2002-03	31.83	720.26	2086.44	1443.06	1.53%	49.91%
2003-04	23.70	844.51	2268.47	1917.23	1.04%	44.05%

2004-05	22.91	1054.39	2430.95	1925.43	0.94%	54.76%
2005-06	36.12	1127.10	3461.42	2302.34	1.04%	48.95%

(स्रोत: राज्य के बजटीय समकों से प्रगणित)

सारणी क्र. 5.15
जल; दसक; ; ध
2001-02 से 2005-06

(% में)

Ø-	1 कोतुद ; ; dsen	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
1.	1 केड; 1 ड; 1	34.94	33.25	32.64	35.11	29.14
2.	1 केड 1 ड; 1	38.95	37.73	34.37	34.22	40.24
i)	शिक्षा	14.13	13.46	14.13	16.00	16.72
ii)	सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4.71	4.56	3.91	3.91	4.29
iii)	अनु. जाति, जनजाति	10.23	9.44	7.32	6.49	6.57
iv)	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	2.98	3.12	2.70	2.23	2.83
v)	आवास एवं नगरीय विकास	1.04	1.10	0.98	0.98	1.76
vi)	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.25	3.87	3.76	4.01	5.03
vii)	श्रम एवं रोजगार	0.43	0.38	0.31	0.35	0.40
viii)	प्राकृतिक आपदाएँ	1.99	1.57	1.08	0.09	2.44
ix)	अन्य	0.17	0.23	0.18	0.16	0.19
3.	वकड 1 ड; 1	23.41	26.10	29.05	27.11	26.76
i)	कृषि एवं संबद्ध क्रियायें	9.51	11.88	15.77	13.59	13.28
ii)	ग्रामीण विकास	6.97	5.62	4.46	6.20	7.83
iii)	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1.72	2.87	2.01	1.70	1.02
iv)	ऊर्जा	1.68	1.56	3.15	2.17	1.82
v)	उद्योग एवं खनन	0.72	0.70	0.84	0.86	0.98
vi)	परिवहन	2.67	3.29	2.61	2.28	1.52
vii)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	0.00	0.01	0.01	0.02	0.04

viii	सामान्य आर्थिक सेवायें	0.15	0.18	0.21	0.32	0.31
4.	LFkkuh; fudk; ka dks vuqku	2.70	2.92	3.94	3.55	3.86

(स्रोत: 'बजट संक्षेप' विभिन्न वर्षों के)

सारणी क्र. 5.16
 jkT; dk i pthxr 0; ;
 2001&02 I s 2005&06½

(करोड़ रु. में)

Ø	en	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
1.	I keld; I dk; a	20.08	19.22	21.80	29.27	35.98
2.	I kelftd I dk; a	106.47	136.82	185.46	255.72	448.54
i)	शिक्षा	2.05	6.22	37.02	53.28	92.92
ii)	सार्वजनिक स्वास्थ्य	12.41	19.62	33.71	38.62	51.72
iii)	अ.जा./ज.जा./पि.वर्ग	34.87	49.11	36.61	101.36	222.92
iv)	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	0.19	0.16	1.54	2.14	11.01
v)	सामा. सुरक्षा एवं कल्याण	0.84	14.03	33.78	11.01	23.60
vi)	आवास एवं नगरीय विकास	55.99	47.63	42.58	48.59	40.27
vii)	अन्य	0.12	0.05	0.22	0.72	6.10
3.	vkfkd I dk; a	349.71	663.75	808.23	994.14	1278.12
i)	कृषि एवं सहयोगी सेवायें	18.87	23.18	23.34	34.64	59.09
ii)	ग्रामीण विकास	22.45	23.68	48.47	33.67	45.91
iii)	सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण	204.19	365.88	417.24	621.49	676.25
iv)	ऊर्जा	-	-	-	-	25.00
v)	उद्योग एवं खनन	2.92	4.41	4.96	17.33	48.68
vi)	परिवहन	101.12	246.59	311.80	284.38	417.88
vii)	अन्य	0.16	0.01	2.42	2.63	5.31

4.	; kx ¼ 1\$2\$3 ½	476.26	819.79	1015.49	1279.13	1762.64
5.	ऋण एवं अग्रिम	80.87	58.80	557.69	113.04	374.89
6.	dy i pthxr 0; ;	557.13	878.59	1573.18	1392.17	2137.53
7.	i pthxr 0; ;] dy 0; ; ds% ea	10.18	13.71	19.25	16.39	19.90
8.	i pthxr 0; ;] l -jk-?k-m-ds % ea	1.89	2.78	4.22	3.17	4.12

(स्रोत : बजट-संक्षेप में)

सारणी क्र. 5.17
 .k l -jk-?k-m- vuq kr
 ½2000&01 l s 2002&03½

Ø-	jkT;	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1	छत्तीसगढ़	22.01	21.66	25.46
2	मध्यप्रदेश	27.38	27.71	32.28
3	गैर-विशेष श्रेणी राज्यों का औसत	28.96	31.54	34.21

(स्रोत: XIIवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन से प्राप्त समंक)

सारणी क्र. 5.18
 C; kt+Hkqrku] jkT; dh dy jkTLo i kflr; k ds i fr'kr ea
 ½2001&02 l s 2004&05½

Ø-	jkT;	2001&02	2002&03	2003&04	2004&05	2001&02 l s 2004&05 dk vk] r	2001&02 l s 2003&04 dk vk] r
1	2	3	4	5	6	7	8
1	छत्तीसगढ़	16.71	14.95	14.35	14.49	15.13	15.34
2	मध्यप्रदेश	20.10	18.69	23.14	21.40	20.83	20.64

3	गैर-विशेष श्रेणी राज्य	26.19	27.11	27.16	26.29	26.69	26.82
---	------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

सारणी क्र. 5.19
I kołt fud __.k dh j puk

Ø.	I k	NRrhl x<+		xj fo'kšk Jskh jkt; k dh l exz fLFkfr ekpZ 2005 ds vr ea
		ekpZ 2004 ds vr ea	ekpZ 2005 ds vr ea	
1	2	3	4	5
1.	केन्द्रीय ऋण	5118 (52.0)	5130 (48.40)	261415 (27.12)
2.	राष्ट्रीय अल्पबचत कोष	-	-	122430 (12.70)
3.	बाजार ऋण	2623 (26.8)	3129 (29.52)	230292 (23.89)
4.	बैंकों से ऋण	379 (3.87)	612 (5.7)	124235 (12.88)
5.	अर्थोपाय अग्रिम	-	-	4349 (0.45)
6.	भविष्य निधि जमायें	1209 (12.36)	1271 (11.99)	142103 (14.74)
7.	सुरक्षित कोष एवं जमा	454 (4.67)	454 (4.29)	78170 (8.31)

8.	विविध (पी.एस.यू.)	-	-	871 (0.09)
9.	कुल ऋण	9786 (100)	10598 (100)	963869 (100)

(स्रोत : XII वाँ वित्त आयोग प्रतिवेदन)

अनुलग्नक क. 5.1
 jkT; I jdkj dh jktLo ikflr; k;
 1/2000&01 I s 2005&06½

(करोड़ रु. में)

Ø-	en	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
1.	स्वयं का कर राजस्व	1993.14	2327.44	2588.25	3227.87	4122.21
2.	केन्द्रीय करों में अंश	1175.79	1349.90	1569.70	1876.22	2400.02
I	dy jktLo 1/2\$2½	3168.93	3677.34	4157.95	5104.09	6522.23
3.	गैर-कर राजस्व	722.38	956.56	1124.41	1243.93	1324.75
4.	केन्द्र से अनुदान	484.39	783.40	676.96	900.85	1537.45
II	dy jktLo 1/2\$4½	1206.77	1739.96	1801.37	2144.78	2862.20
	dy jktLo ikflr; k; 1/2 + II½	4375-70	4375.70	5417.30	5959.32	7248.87

(स्रोत : विभिन्न वर्षों के लिये वित्त सचिव द्वारा प्रदत्त विवरण)

अनुलग्नक क. 5.2
 jkT; dk Lo; adk dj jktLo
 1/2000&01 I s 2005&06½

(करोड़ रु. में)

Ø-	dj	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
1.	भू-राजस्व	16.57	12.56	3.81	28.69	45.01

2.	स्टाम्प एवं पंजीयन	121.35	148.10	170.87	247.77	260.26
3.	राज्य उत्पादन कर	313.61	361.73	402.35	458.27	600.01
4.	बिक्री कर	940.09	1102.43	1298.62	1673.86	2188.23
5.	मोटर वाहन कर	124.88	157.81	167.07	191.80	224.95
6.	माल एवं यात्रियों पर कर	196.27	251.55	230.08	287.13	379.74
7.	बिजली शुल्क	226.06	244.33	268.36	308.92	401.85
8.	अन्य कर	54.31	48.93	47.09	31.43	22.16
9.	; lxx	1993.14	2327.44	2588.25	3227.87	4122.21

(स्रोत: बजट, संक्षेप में विभिन्न वर्ष)

अनुलग्नक क. 5.3
NRrh x<+jkt; dk xj & dj jktLo
½2000&01 I s 2005&06½

(करोड़ रु. में)

Ø-	en	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4	5	6	7
1.	jkt dkskh; I dk, j	54.12	121.22	157.27	101.26	110.03
i)	ब्याज प्राप्तियाँ	49.12	95.65	122.46	101.26	105.67
ii)	लाभांश	5.00	25.57	34.81	0.00	4.36
2.	I kekl; I dk; a	30.61	83.24	98.93	65.37	51.50
3.	I kekt d I dk; a	25.44	31.83	23.70	22.91	36.12
4.	vkfkd I dk; a	612.20	720.26	844.51	1054.39	1127.10
i)	कृषि एवं ग्रामीण विकास	11.36	11.90	11.30	23.29	19.86
ii)	वन	98.93	105.84	140.93	159.85	181.53
iii)	खनन	454.04	538.14	629.68	684.26	707.48

iv)	सिंचाई	48.38	58.30	55.01	79.96	112.98
v)	अन्य	3.42	6.08	7.59	107.03	105.29
; kx ¼ l s 4½		722.38	956.56	1124.40	1243.93	1324.75

(स्रोत: बजट, संक्षेप में विभिन्न वर्ष)

अनुलग्नक क्र. 5.4
 NRRhl x<+I jdkj dsjktLo 0; ; dh jpuk
 1/2000&01 I s 2005&061/2

1/2dkM+ : - e21/2

Ø-	en	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06 (R.E.)
1	2	3	4	5	6	7
1.	सामान्य सेवायें	38.24	40.77	69.63	68.66	82.07
2.	राजकोषीय सेवायें	119.13	118.31	111.96	114.34	186.07
3.	ब्याज संग्रह, ऋण परिशोधन	741.95	852.86	1109.80	1359.91	1060.36
i)	1/2; kt Hkqrku1/2	702.01	809.86	1053.80	1151.91	1010.36
4.	प्रशासकीय सेवायें	360.31	436.27	406.90	417.03	578.31
5.	पेंशन और विविध सामान्य सेवायें	457.26	390.65	456.07	534.03	599.93
I.	dy I ekU; I ok; a	1716.89	1838.86	2154.36	2493.97	2506.74
	I kelftd I ok; a					
1.	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	694.54	744.25	932.42	1136.41	1438.51
2.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	231.54	251.91	258.37	277.60	368.90
3.	जलपूर्ति एवं स्वच्छता	146.41	172.48	178.37	158.45	243.41
4.	आवास और नगरीय विकास	51.26	60.96	64.75	69.77	151.76
5.	श्रम एवं रोजगार	21.12	21.02	20.61	24.79	34.67
6.	अनु. जाति, ज.जा. एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	502.81	522.30	482.99	460.97	565.19
7.	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण एवं पोषाहार	159.79	214.07	247.91	284.85	433.01
8.	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत	97.97	86.85	71.17	6.58	209.49
9.	अन्य	8.41	12.60	11.88	11.53	16.48
II.	dy I kelftd I ok; a	1913.85	2086.44	2268.47	2430.95	3461.42
	vkffkd I ok; a					
i)	कृषि एवं सहयोगी क्रियाएँ	467.38	656.92	1041.06	965.57	1142.27
ii)	ग्रामीण विकास	342.53	311.04	294.50	440.58	673.48
iii)	सिंचाई एवं बाढ़-नियंत्रण	84.35	158.83	132.62	120.51	87.97
iv)	ऊर्जा	82.43	86.22	207.86	153.97	156.71
v)	उद्योग एवं खनिज	35.22	38.67	55.60	60.76	84.23
vi)	परिवहन	131.38	181.70	172.04	161.62	131.02
vii)	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.02	0.59	0.87	1.51	3.71
viii)	सामान्य आर्थिक सेवायें	7.28	9.09	12.68	21.11	22.95
III.	dy vkffkd I ok; a	1150.59	1443.06	1917.23	1925.63	2302.34
IV.	स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान	132.79	161.64	260.37	252.50	332.17
	dy (I+II+III+IV) jktLo 0; ;	4914.12	5530.00	6600.43	7103.05	8602.67

(स्रोत : बजट, संक्षेप में, विभिन्न वर्ष)